अध्याय IX: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

ब्रह्मपुत्र क्रेकर एवं पोलीमर लिमिटेड

9.1 निष्पादन संबंधित वेतन का अनियमित भुगतान

ब्रह्मपुत्र क्रेकर एवं पोलीमर लिमिटेड ने डीपीई दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए गेल के कार्यकारियों को पीआरपी के तौर पर ₹15.54 करोड़ का भुगतान किया जिसके कारण पूंजीगत सब्सिडी के प्रति भारत सरकार का ₹4.62 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भी हुआ।

भारत सरकार (जीओआई) ने असम गैस क्रेकर परियोजना को अनुमोदित (अप्रैल 2006) किया। तदनुसार, उपरोक्त परियोजना के कार्यान्वयन के लिए गेल इंडिया लिमिटेड (गेल), नुमालिगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल), ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) और असम सरकार (जीओए) के बीच एक संयुक्त उद्यम समझौता (अक्टूबर 2006) किया गया था। गेल 70 *प्रतिशत* इक्विटी अंशदान के साथ मुख्य प्रवर्तक होगा। शेष प्रवर्तकों में प्रत्येक का अंशदान 10 *प्रतिशत* होगा। इसलिए, ब्रह्मपुत्र क्रेकर एवं पोलीमर लिमिटेड (कंपनी) को उपर्युक्त उद्देश्य के लिए जनवरी 2007 में बनाया गया था। भारत सरकार द्वारा ₹2,138 करोड़ की पूंजीगत सब्सिडी के साथ परियोजना की लागत ₹5,461 करोड़ (मई 2006) अनुमानित की गई थी। परियोजना लागत को बाद में ₹5,239.45 करोड़ की पूंजीगत सब्सिडी के साथ ₹9,965 करोड़ में संशोधित (जुलाई 2016) किया गया। संयुक्त उद्यम समझौते के अनुसार प्रवर्तक कंपनी में अपने योग्य कर्मियों को प्रतिनियुक्ति के माध्यम से परियोजना के कार्यान्वयन के लिए प्रबंधन और तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे। तदनुसार गेल के प्रमुख प्रवर्तक होने के नाते, परियोजना के कार्यान्वयन की आवश्यकता के अनुसार 2007-08 से कंपनी के अपने कार्यकारियों को प्रतिनियुक्त कर रहा है।

कंपनी ने गेल के लिए ऐसे प्रतिनियुक्त कार्यकारियों को वेतन एवं भत्तों के प्रतिपूर्ति की जिसमें गेल के लिए लागू ऐसे कार्यकारियों के निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी) को भी शामिल किया गया है। परियोजना को जनवरी 2016 में चालु किया गया था। कंपनी ने भारत सरकार से ₹5,088.80 करोड़ (मई 2019 तक) (ऐसी पूंजीगत सब्सिडी पर अर्जित ₹56.15 करोड़ के निवल ब्याज सहित) पूंजीगत सब्सिडी प्राप्त की जो अनुमोदित परियोजना लागत का 51 *प्रतिशत* था। परियोजना के चालू होने के बाद कंपनी ने 2017-18 तक कोई लाभ अर्जित नहीं किया और इसका संचित घाटा 31 मार्च 2018 तक ₹919.70 करोड़ था। हालांकि इसने 2018-19 के दौरान ₹68.97 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया।

डीपीई भारत सरकार ने बोर्ड स्तर के नीचे और बोर्ड स्तर के कार्यकारियों के साथ-साथ सीपीएसई में गैर-संघीकृत पर्यवेक्षकों के वेतनमान को संशोधित करते हुए 01 जनवरी 2007 से निर्देश[1] जारी किए हैं जिसमें दर्शाया है कि सीपीएसईज के कार्यकारियों के पीआरपी को सीपीएसईज के लाभ और सीपीएसई के समझौता ज्ञापन (एमओयू) की रेटिंग के संदर्भ में कार्यकारियों के निष्पादन को सीधा जोड़ना चाहिए। यह भी स्पष्ट किया गया था कि कार्यकारी जो अन्य सीपीएसई में प्रतिनियुक्ति पर थे, ग्रहण करने वाले सीपीएसई के लिए लागू पीआरपी को लेने के हकदार थे।

उपर्युक्त दृष्टिकोण में, 2007-08 से 2017-18 तक की अवधि के दौरान कंपनी के कार्यकारियों के लिए पीआरपी लागू नहीं था क्योंकि परियोजना (2015-16 तक) कार्यान्वयन के चरण में थी और 2016-17 और 2017-18 की दो वर्षों की अवधि के लिए कोई लाभ उत्पन्न नहीं हुआ था। इसके अलावा, कंपनी ने 2018-19 के लिए पीआरपी नीति नहीं बनाई और इसलिए, अपने कार्यकारियों को कोई पीआरपी का भुगतान नहीं किया था।

हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि कंपनी ने प्रतिनियुक्ति पर काम करने वाले गेल के कार्यकारियों को पीआरपी के लिए 2007-08 से 2018-19 तक की अवधि के दौरान गेल को कुल ₹15.54 करोड़ की राशि प्रतिपूर्ति की जिसमें से ₹9.06 करोड़ (जनवरी 2016 तक) को परियोजना लागत के भाग के रूप में पूंजीकरण किया गया था। प्रतिनियुक्त कार्यकारियों के उपरोक्त पीआरपी को गेल में उनके संबंधित पदों के लाभ/ निष्पादनों के आधार किया गया हैं।

गेल के कार्यकारियों जोकि प्रतिनियुक्ति पर कंपनी में कार्यरत थे, डीपीई के दिनांक 26 नवम्बर 2008 के ओएम के निर्देशों के अनुसार ग्रहण कंपनी के कार्यकारियों के लिए लागू पीआरपी यदि हो, के हकदार थे। चूँकि कंपनी के अपने कार्यकारी 2007-08 से 2018-19 तक की अवधि के दौरान किसी भी पीआरपी के हकदार नहीं थे, इसलिए उपरोक्त अवधि के दौरान प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने वाले कार्यकारियों के संबंध में कंपनी द्वारा गेल को पीआरपी के रूप में ₹15.54 करोड़ की प्रतिपूर्ति की, जो डीपीई के उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप नहीं था। इस संबंध में यह भी ध्यान देने योग्य है कि कंपनी द्वारा गेल को उपरोक्त पीआरपी का भुगतान नहीं किया गया होता तो, परियोजना लागत ₹9.06 करोड़ तक कम हो जाती और इस प्रकार भारत सरकार द्वारा पूंजीगत सब्सिडी भी ₹4.62 करोड़ (₹9.06 करोड़ का 51 *प्रतिशत*) तक कम हो जाती।

इस प्रकार, कंपनी द्वारा गेल को पीआरपी के तौर पर ₹15.54 करोड़ का भुगतान किया, गेल के कार्यकारियों के लिए, जो प्रतिनियुक्ति पर काम करते थे, जो डीपीई के दिशानिर्देशों

---

[1] ***दिनांक 26 नवम्बर 2008 के ओएम सं.2 (70)/ 08-डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीएल-XVI/ 08 के अनुसार***

का उल्लंघन था। इसके अलावा, इससे भारत सरकार से पूंजीगत सब्सिडी के लिए ₹4.62 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भी हुआ।

प्रबंधन ने कहा (अगस्त 2019) कि गेल के कार्यकारियों को परियोजना के सफलतापूर्ण कमिशनिंग के लिए कंपनी में प्रतिनियुक्त किया गया था और गेल के परिपत्र के अनुसार पीआरपी का भुगतान किया मान्य नहीं है क्योकि ऐसे परिपत्र डीपीए के दिशानिर्देश को दिशा निर्देशो को उलट नहीं सकते।

इस संबंध में, डीपीई ने (मार्च 2020) स्पष्ट किया कि एक होल्डिंग कंपनी से सहायक कंपनी या इसके विपरीत प्रतिनियुक्त पर कार्यकारियों को ग्रहण करने वाले सीपीएसई के लिए लागू भत्ते और परिवर्तनीय वेतन/ पीआरपी को लेने के हकदार होंगे और सीपीएसई के प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग को 26 नवम्बर 2008 के ओएम से जारी किए गए दिशानिर्देशों को कार्यान्वित करने करवाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए।

इसलिए, गेल के कार्यकारियों को ₹15.54 करोड़ की राशि के पीआरपी का भुगतान डीपीई दिशानिर्देश का उल्लंघन था।

पैरा मंत्रालय को अक्टूबर 2019 में जारी किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2020)।

ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड

9.2 वित्तीय और नियंत्रण (एफआईसीओ) मॉड्यूलों की अनुवर्ती आईटी लेखापरीक्षा का पालन

9.2.1 परिचय

ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी), तेल और गैस के अन्वेषण और उत्पादन के क्षेत्र में एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जिसने एक सामान्य उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) प्रणाली के अंतर्गत अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं को पुन: शुरू करने के लिए अक्टूबर 2003 में कार्यक्षमता के लिए सूचना समेकन (आईसीई) नामक एक परियोजना शुरू की। परियोजना आईसीई ने एसएपी के सभी 10 मॉड्यूलों[2] के उपयोग की परिकल्पना की थी और इस प्रणाली को अक्टूबर 2003 और जनवरी 2005 के बीच कंपनी में लागू किया गया था। आईसीई परियोजना का मुख्य उद्देश्य वास्तविक समय के आधार पर एकीकृत सूचना उपलब्धता के लिए व्यावसायिक प्रक्रियाओं को इष्टतम और मानकीकरण करना तथा स्रोत स्थल पर डेटा कैप्चर करके दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के

---

[2] *वित्तीय (एफआई), नियंत्रण (सीओ), सामग्री प्रबंधन (एमएम), प्लांट मेंटेनेंस (पीएम), परियोजना प्रणाली (पीएस), निवेश प्रबंधन (आईएम), परिसंपत्ति प्रबंधन (एएम), कोष (एफएम), बिक्री और वितरण (एसडी), व्यावसायिक सूचना वेयरहाउस (बीडब्ल्यू)*

लिए गतिविधियों के दोहराव को समाप्त करना है। कंपनी द्वारा उपयोग किया जाने वाला वर्तमान संस्करण एसएपी ईसीसी 6.0 ईएचपी 7[3] है।

लेखापरीक्षा ने 2007 में कंपनी के पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों में वित्तीय और नियंत्रण (एफआईसीओ) मॉड्यूल के उप-मॉड्यूल देय लेखाओं, परिसंपत्ति लेखांकन और लागत केन्द्रित लेखांकन की समीक्षा की। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को 2008 की सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 10 में शामिल किया गया था (अध्याय VII)। पिछले ऑडिट के दौरान दिए गए आश्वासनों पर कार्रवाई नहीं की गई थी। वर्तमान आईटी लेखापरीक्षा पिछली प्रतिवेदन की सिफारिशों पर एक अनुवर्ती लेखापरीक्षा है।

9.2.2 विगत लेखापरीक्षा कवरेज

2008 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 10 (अध्याय VII) ने पारंपरिक प्रणाली से डेटा के अनुकूलन, इनपुट नियंत्रण और स्थानान्तरण में कमियों को बताया। प्रतिवेदन में सिफारिश की गई थी कि कंपनी को कमियों की समीक्षा और उसमें सुधार करना चाहिए:

- सटीक, आवश्यक और पूर्ण डेटा प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए इनपुट नियंत्रणों, वैधीकरण नियंत्रणों और आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं को मजबूत करना।
- संबंधित लागत केंद्र को लागत के आवंटन से संबंधित व्यवसाय नियम का मापन।
- त्रुटियों का सुधार करने के लिए स्थानान्तरित मास्टर डेटा का शोधन जिससे ईआरपी प्रणाली में गड़बड़ी हुई थी और मास्टर डेटा की समय-समय पर समीक्षा के लिए व्यापक प्रक्रियाओं की स्थापना।
- उपयोगकर्ता जागरूकता के स्तर को बढ़ाने और डेटा इनपुट की त्रुटियों को कम करने के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।

9.2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा ने पिछले प्रतिवेदन की सिफारिश के कार्यान्वयन की समीक्षा की क्योंकि लेखापरीक्षा में प्रणाली में गलत और अपूर्ण डेटा के उदाहरण देखे गए थे। एसएपी के एफआईसीओ मॉड्यूल की वर्तमान अनुवर्ती लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि क्या:

- कंपनी द्वारा सटीक, प्रासंगिक और पूर्ण डेटा प्राप्त करने के लिए इनपुट नियंत्रण, सत्यापन नियंत्रण और आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं सुदृढ की गई थी।
- संबंधित लागत केंद्र को लागत के आवंटन से संबंधित व्यावसायिक नियमों को प्रणाली में पर्याप्त रूप से मापित किया गया था।

---

[3] *ईआरपी केंद्रीय घटक 6.0 वृद्धि पैकेज 7*

- स्थानान्तरित मास्टर डेटा की त्रुटियों का सुधार करने के लिए शोधन किया गया था जिससे ईआरपी प्रणाली में गड़बड़ी हुई थी और क्या डेटा की समय-समय पर समीक्षा के लिए व्यापक प्रक्रियाएं स्थापित की गई थीं।
- उपयोगकर्ता जागरूकता के स्तर को बढ़ाने और डेटा इनपुट की त्रुटियों को कम करने के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।
- एफआईसीओ मॉड्यूल के संबंध में स्वतंत्र लेखापरीक्षा और सीएजी की सिफारिशों का अनुपालन किया गया है।

9.2.4 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

वर्तमान लेखापरीक्षा में ओएनजीसी के सभी कंपनी कोडो[4] के लिए 2014-15 से 2017-18 की अवधि के लिए वित्तीय और नियंत्रक मॉड्यूल (दस में से दो मॉड्यूल) के छह उप-मॉड्यूलों में से तीन उप-मॉड्यूल अर्थात देय लेखाओं, परिसंपत्ति लेखांकन और लागत केंद्र लेखांकन शामिल हैं।

ओएनजीसी ने एफआईसीओ मॉड्यूल के लिए उपयोगकर्ता प्राधिकरण प्रबंधन प्रक्रिया और स्वचालित नियंत्रण (अंतर्निहित और विन्यास योग्य) पर कार्यात्मक लेखापरीक्षा करने के लिए मैसर्स केपीएमजी को नियुक्त (अगस्त 2017) किया था। लेखापरीक्षा ने मैसर्स केपीएमजी की सिफारिशों पर कंपनी के आश्वासन और सुधारात्मक कार्रवाई को प्राप्त किया और इस प्रकार, कार्यात्मक लेखापरीक्षक द्वारा सामने लाए गए मुद्दों को वर्तमान लेखापरीक्षा में शामिल नहीं किया गया है।

9.2.5 लेखापरीक्षा की कार्यप्रणाली

यह आईटी लेखापरीक्षा निम्नलिखित कार्यप्रणाली को अपनाकर की गई है:

- अगस्त 2018 में प्रबंधन के साथ एन्ट्री कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी।
- कंपनी द्वारा प्रस्तुत लेखापरीक्षा अवधि से संबंधित, एफआईसीओ और अन्य संबंधित मॉड्यूल के तालिका डेटा को सीएएटी[5] का उपयोग करके विश्लेषण किया गया था। डेटा विश्लेषण में मुद्दों की पहचान करने के लिए सामान्य कुंजियों पर कुछ डेटा तालिकाओं का विलय शामिल था। मानक एसएपी रिपोर्ट और अनुकूलित रिपोर्ट का उपयोग करके डेटा को तालिका डेटा के विश्लेषण को पुष्टि करने के

---

[4] कंपनी कोड बाहरी लेखांकन की सबसे छोटी संगठनात्मक इकाई को संदर्भित करता है जिसके लिए तुलन पत्र और लाभ और हानि विवरण जैसे लेखाओं का एक पूर्ण, स्व-निहित सेट बनाया जा सकता है। यह एक अलग, लेकिन कार्य का स्वतंत्र, व्यावसायिक स्थान नहीं हो सकता है। ओएनजीसी के संगठनात्मक ढांचे (संपत्ति/ बेसिन/ भौगोलिक स्थिति) के आधार पर कई कंपनी कोड हैं

[5] कंप्यूटर असिस्टेड लेखापरीक्षा तकनीके

लिए भी डेटा निकाला गया था। लेखापरीक्षा आपत्तियों पर उत्तर मांगते समय आउटपुट फ़ाइलों को लेखापरीक्षा विश्लेषण के स्क्रीन शॉट्स के साथ प्रबंधन के साथ साझा किया गया था।

- प्रबंधन को जारी किए गए विचार-विमर्श, पत्राचार और प्रश्नावली और प्राप्त प्रतिक्रिया।

लेखापरीक्षा ने तालिका डेटा को निकालने/ साझा करने में प्रबंधन के प्रयासों को स्वीकार किया। 01 मई 2019 को प्रबंधन के साथ एक्जिट कॉन्फ्रैंस को आयोजित किया गया था। 06 मई 2019 को मंत्रालय को रिपोर्ट जारी की गई थी और 29 अगस्त 2019 को प्रतिक्रिया प्राप्त की थी, जिस पर इस रिपोर्ट को तैयार करते समय विचार किया गया है। लेखापरीक्षा सर्वांगी दृष्टिकोण से लेखापरीक्षा आपत्तियों को देखने के लिए प्रबंधन/ मंत्रालय की सकारात्मक प्रतिक्रिया की और लेखापरीक्षा अभ्यास से निकलने वाले संकेतों के आधार पर विस्तृत समीक्षा करने के लिए सराहना करता है।

9.2.6 लेखापरीक्षा मानदंड

- कंपनी की नियम पुस्तक/ दिशानिर्देश/ परिपत्र
- लेखांकन नीति, वैधानिक आवश्यकताएं
- व्यवसाय ब्लूप्रिंट के अनुसार व्यवसाय के नियम तथा एफआईसीओ मॉड्यूल के लिए आईसीई संदर्भ नियम पुस्तक
- आईटी उद्योग के मानक और सर्वोत्तम प्रथाएं

9.2.7 लेखापरीक्षा की सीमाएँ

विश्लेषण के लिए उपयोग किया गया डेटा सजीव वातावरण से नहीं है, बल्कि कंपनी द्वारा प्रदान किए गए तालिका डेटा से है। इसलिए लेखापरीक्षा, व्यापक रूप से इनपुट नियंत्रण/ सत्यापन नियंत्रण का मूल्यांकन करने के लिए डमी डेटा का परीक्षण नहीं कर सका। लेखापरीक्षा कंपनी के व्यावसायिक प्रक्रियाओं और प्रणाली आवश्यकताओं के डेटा को तुलना में विश्लेषण नहीं कर सका जैसेकि बिजनेस ब्लूप्रिंट[6] में इसकी परिकल्पना की गई थी क्योंकि यह लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था। इन्ट्री कॉन्फ्रैंस के दौरान प्रबंधन ने बताया कि बिजनेस ब्लूप्रिंट एक कार्यान्वयन चरण का दस्तावेज़ था। प्रबंधन द्वारा बाद में प्रदान किए गए प्रक्रिया दस्तावेज एक उपयोगकर्ता संदर्भ मैनुअल नियमपुस्तक थी जो कि उतनी व्यापक नहीं थी जितना कि अद्यतित व्यावसायिक ब्लूप्रिंट

---

[6] *बिजनेस ब्लूप्रिंट कंपनी की व्यावसायिक प्रक्रियाओं और सिस्टम आवश्यकताओं का विस्तृत विवरण है। यह ईआरपी के कार्यान्वयन के समय व्यावसायिक प्रक्रियाओं का दस्तावेजीकरण करता है, जिसमें प्रासंगिक व्यावसायिक परिदृश्य, व्यावसायिक प्रक्रियाएँ और प्रक्रिया चरण एक पदानुक्रमित संरचना में शामिल हैं*

को व्यावसायिक नियमों, आवश्यकताओं और ईआरपी प्रणाली में मापन को समझने के लिए होना चाहिए।

9.2.8 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

कंपनी मुख्य रूप से एफआईसीओ मॉड्यूल के तीन उप-मॉड्यूलों अर्थात परिसंपत्ति लेखांकन, देय लेखाओं और लागत केंद्र लेखांकन का उपयोग कर रही है। परिसंपत्ति लेखांकन उप-मॉड्यूल का उपयोग एसएपी प्रणाली के साथ अचल संपत्तियों के प्रबंधन और पर्यवेक्षण के लिए किया जाता है। वित्तीय लेखांकन में, अचल संपत्तियों से जुड़े लेन-देन की विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए यह सामान्य बहीखाते के लिए सहायक बहीखाते के रूप में कार्य करता है। देय लेखाओं का उप-मॉड्यूल सभी विक्रेताओं के लिए लेखांकन डेटा का प्रबंधन और रिकॉर्ड करता है। देय भुगतान कार्यक्रम के अनुसार प्रबंधित किए जाते हैं और भुगतान चेक, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र आदि का उपयोग करके किया जा सकता है। देय लेखाओं में की गई सभी प्रविष्टियां सामान्य बहीखाते में साथ-साथ अपडेट की जाती हैं और प्रणाली मानक रिपोर्ट का अनुरक्षण/ पूर्वानुमान करती है तथा इसे उत्पन्न करती है जिसे सभी खुली मदों पर नज़र रखने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। कंपनी में लागत लेखांकन एसएपी में नियंत्रण (सीओ) मॉड्यूल द्वारा सरल बनाया गया है जो अधिग्रहण, अन्वेषण, विकास, उत्पादन, सहायता गतिविधियों आदि से संबंधित लागतों के आवंटन को निर्धारित करता है। लागत एकत्र करने के लिए लागत केंद्र सबसे छोटी इकाई है।

उपर्युक्त तीन उप-मॉड्यूल से संबंधित तालिका डेटा का विश्लेषण और इस तरह के विश्लेषण से निकलने वाले लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

9.2.8.1 मास्टर डेटा की कमियां

i) परिसंपत्ति मास्टर तालिका में परिसंपत्ति स्थान की अप्राप्ति

एसएपी-ईआरपी में परिसंपत्ति मास्टर तालिका में समय-निर्भर संपत्ति आवंटन जानकारी होती है और तालिका में परिसंपत्ति स्थान के फील्ड में उस स्थान का विवरण होता है जहां संपत्ति होती है। वित्तीय लेखांकन, निवारक रखरखाव और चोरी निवारण के उद्देश्यों के लिए अचल परिसंपत्तियों का पता लगाने के लिए प्रणाली में अचल संपत्ति के स्थान का विवरण बनाए रखना आवश्यक है। तालिका में आंकड़ों की समीक्षा से पता चला है कि कुल 11,23,188 अभिलेखों में से 7,48,521 अभिलेखों (66 *प्रतिशत*) में स्थान का फील्ड रिक्त था और प्लांट आईडी और स्थान फील्ड 3,31,493 अभिलेखों (29 *प्रतिशत*) में उपलब्ध नहीं था। इस जानकारी के अभाव में, अचल संपत्ति की स्थान-वार ट्रैकिंग और कस्टडी हस्तांतरण के मामलों में परिसंपत्तियों को सौंपने/ ग्रहण करने का उचित अनुपालन प्रणाली में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2019) कि 7,48,521 अभिलेखों जिनमें स्थान फील्ड रिक्त था, में से 3,81,393 अभिलेख सही किए गए हैं, प्लांट आईडी और स्थान फील्ड 3,27,947 अभिलेखों में 06 अगस्त 2019 तक भरे गए हैं; शेष अभिलेखों का अद्यतन करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

पिछली लेखापरीक्षा के दौरान दिए गए अदयतन के आश्वासन पर कार्रवाई नहीं की गई थी। अब लेखापरीक्षा के आग्रह पर की गई सुधारात्मक कार्रवाई और मंत्रालय के आश्वासन को लेखापरीक्षा ने नोट किया है।

ii) संपत्ति प्रभारी का गैर कब्जा

एएनएलए[7] तालिका में प्रभारी परिसंपत्ति फील्ड, परिसंपत्ति के संरक्षक को दर्शाता है जिसके तहत संपत्ति निहित है। यह देखा गया कि 5,49,298 अभिलेखों में से 3,651 अभिलेखों में, फील्ड या तो रिक्त था या कर्मचारी आईडी नंबर शून्य था। प्रणाली में इस जानकारी के अभाव से परिसंपत्ति की निगरानी के नियंत्रण में कमी आ सकती है। पिछले लेखापरीक्षा के दौरान आंकडो को अदयतन करने के लिए प्रदान किए गए आश्वासन को इस प्रकार नहीं किया गया था।

प्रबंधन ने बताया (अप्रैल 2019) कि अवैध इंडेंटर/ संरक्षक के साथ संपत्ति की पहचान करने के लिए प्रणाली में एक रिपोर्ट तैयार की गई है। मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2019) कि 6 अगस्त 2019 तक 3,651 अभिलेखों में से 2,150 अभिलेखों के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की गई है और बाकी को अपडेट करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आगामी मामलों के लिए, मंत्रालय ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली नियंत्रण रखा गया है कि संपत्ति मास्टर में संरक्षक फील्ड रिक्त नहीं रहेगा।

प्रबंधन परिसंपत्तियों की ट्रैकिंग और निगरानी के लिए प्रणाली की कार्यक्षमता का उपयोग करने के लिए मास्टर डेटा में परिसंपत्ति स्थान और संपत्ति संरक्षक की जानकारी की पूर्णता सुनिश्चित करे।

---

[7] ***एएनएलए एक मानक एसएपी तालिका है जिसका उपयोग परिसंपत्ति मास्टर अभिलेखों सेगमेंट जानकारी को संग्रहीत करने के लिए किया जाता है***

iii) संपत्तियों का गलत वर्गीकरण

लेखापरीक्षा ने परिसम्पत्ति वर्ग फील्ड् का उपयोग करते हुए परिसंपत्ति विवरण तालिका (एएनकेटी[8]) के साथ परिसंपत्ति मास्टर तालिका को जोड़ने पर पाया कि एक ही परिसंपत्ति कई वर्गों के तहत दिखाई दे रही थी। कुछ परिसंपत्तियों की नमूना-जांच में निम्नलिखित बातें सामने आईं:

- 'मोबाइल', 'सोलर परिसंपति,' डीजी सेट्स 'आदि विविध परिसंपत्ति वर्गों में दिखाई दे रहे थे जो उत्पादन, फर्नीचर, कार्यालय उपकरण, तेल और गैस उत्पादन उपकरण आदि से भिन्न थे।
- एक मामले में, केवी स्कूल में सौर ऊर्जा सीपी स्टेशन को परिसंपत्ति वर्ग 10414 - इंजन और कंप्रेसर के तहत प्रदर्शित किया पाया गया था, जो सामान्य रूप से उत्पादन उपकरणों को शासित करेगा।

प्रबंधन ने कहा (अक्टूबर 2018/ अप्रैल 2019) कि परिसंपत्ति का वर्गीकरण उपयोग के इसके क्षेत्र पर निर्भर होता है; परिसंपत्ति, 'सोलर सीपी स्टेशन' को अनजाने में उत्पादन उपकरण (परिसंपत्ति वर्ग 10414) के तहत पूंजीकृत किया गया था, जिसे 'नवीकरण ऊर्जा उपकरण' के तहत सही और पुनर्वर्गीकृत किया गया है। पूर्व रिपोर्ट में परिसंपत्ति के गलत वर्गीकरण को इंगित किया गया था। पिछले लेखापरीक्षा में दिए गए आश्वासन पर कार्रवाई नहीं की गई है।

लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि लेखाओं पर प्रभाव को देखते हुए, प्रबंधन परिसंपत्ति के वर्गीकरण में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए परिसंपत्तियों की एक विस्तृत अवस्थिति-वार समीक्षा कर सकता है।

मंत्रालय ने सिफारिश को स्वीकार किया और कहा (अगस्त 2019) कि सभी इकाइयों/ अवस्थितियों पर परिसंपत्तियों के वर्गीकरण की गहन समीक्षा की जा रही है।

iv) उत्तरदायी लागत केंद्र/ लागत केंद्र का गैर-अधिग्रहण

एसएपी प्रणाली परिसंपत्ति मास्टर अभिलेख में लागत केंद्र असाइनमेंट का उपयोग प्रभावित लागत केंद्र को निर्धारित करने के लिए करती है जब परिसंपत्ति की प्रविष्टियां की जाती हैं जैसे कि स्थायी परिसंपत्ति मूल्यह्रास परिसंपत्ति की बिक्री पर लाभ/ हानि। उत्तरदायी लागत केंद्र भौतिक परिसंपत्ति के लिए उत्तरदायी है, लेकिन मूल्यह्रास लागत को वहन नहीं करेगा। सम्पत्ति मास्टर तालिका आंकड़ो की समीक्षा से पता चला कि

---

[8] *एएनकेटी एक मानक एसएपी तालिका है जिसका उपयोग परिसम्पत्ति वर्ग विवरण जानकारी को संग्रहीत करने के लिए किया जाता है*

11,23,188 अभिलेखों में से 39,582 अभिलेखो में लागत केंद्र के साथ-साथ उत्तरदायी लागत केंद्र खाली थे।

प्रबंधन ने कहा (नवंबर 2018) कि सभी इकाइयों को यह सुनिश्चित करने के लिए सलाह दी गई है कि जहां भी परिसम्पत्ति मास्टर में आंतरिक आदेश का उपयोग किया गया है वहॉ उत्तरदायी लागत केंद्र अद्यतन किया गया हैं क्योंकि लागत वस्तु और लागत केन्द्र रिक्त नहीं है। इसने आगे कहा कि (मई 2019) उत्तरदायी लागत केंद्र फील्ड् को पुरानी और नई परिसंपत्तियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2019) कि 39,582 अभिलेखो में से, 33,031 अभिलेखो के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की गई है और शेष अभिलेखो को अद्यतन करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

लेखापरीक्षा के कहने पर शुरू की गई सुधारात्मक कार्रवाई नोट की गई है।

9.2.8.2 नियंत्रण अंतराल

i) भुतपूर्व कर्मचारी परिसंपत्ति के संरक्षक के रूप में जारी रहते हैं

परिसम्पत्ति संरक्षक परिसम्पत्ति मास्टर का वह फील्ड् है जो पूंजीगत परिसम्पत्तियों के उस संरक्षक को दर्शाता है जो परिसम्पत्तियों की सुरक्षित अभिरक्षा, भौतिक सत्यापन और संचलन आदि के लिए उत्तरदायी है। यह देखने के लिए कि क्या सेवानिवृत्त कर्मचारियों में से कोई भी अभी भी संरक्षक के रूप में दर्शाया गया है, लेखापरीक्षा ने डेटा का विश्लेषण किया जहां परिसंपत्ति मुख्य तालिका में संरक्षक के नाम का उल्लेख किया गया है। इसके लिए, परिसंपत्ति संरक्षक विवरण वाले परिसंपत्ति मास्टर का डेटाबेस फील्ड संरक्षक/ भुतपूर्व-कर्मचारी नाम के आधार पर भुतपूर्व कर्मचारियों पर एसएपी रिपोर्ट के साथ शामिल किया गया था। यह देखा गया कि 571 भुतपूर्व-कर्मचारियों (01 अप्रैल 2014 से पहले सेवानिवृत्त) को 11,369 परिसंपत्तियों जिसका मूल्य ₹87.43 करोड़ मूल्य था, के मामले में संरक्षक के रूप में जारी रखा गया।

लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि प्रबंधन परिसंपत्ति के संरक्षक के रूप में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की निरंतरता की जांच करने के लिए उचित नियंत्रण सुनिश्चित कर सकता है।

प्रबंधन/ मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2019/ अगस्त 2019) कि लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए 571 अभिलेख में से 441 में परिसंपत्ति के संरक्षक के रूप में हटा दिया गया है और कर्मचारी के खाते में पड़ी परिसंपत्ति के स्वत: हस्तांतरण के लिए एक प्रणाली आधारित नियंत्रण और अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने/ कार्यमुक्त करने का आदेश जारी करने की प्रणाली के माध्यम से सलाह दी गई है। मंत्रालय ने आगे कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संरक्षक के तौर पर निरंतरता की जांच करने के लिए पर्याप्त नियंत्रण मौजूद हैं और

परिसंपत्ति मास्टर में प्रतिकूल संरक्षकों के लिए सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अवस्थितियों को रिपोर्ट प्रदान की गई है।

लेखापरीक्षा के कहने पर शुरू की गई सुधारात्मक कार्रवाई नोट की गई है।

ii) विक्रेता मास्टर के बैंक विवरण का गैर/ गलत अभिग्रहण

विक्रेता मास्टर डेटाबेस में उन विक्रेता के बारे में जानकारी होती है जो किसी उद्यम की आपूर्ति करते हैं। इस जानकारी में विक्रेता का नाम, विक्रेता का अकाउंट नंबर (विक्रेता आईडी), बैंक अकाउंट नंबर आदि शामिल होते हैं। विक्रेता मास्टर के बैंक विवरण के आंकड़ों की समीक्षा से पता चला कि 1,57,804 अभिलेख में से 2,206 अभिलेख में खाता धारक का नाम अभिगृहीत नहीं किया गया था और 1,176 अभिलेख में बैंक खाता संख्या का अभिग्रहण नहीं किया गया था। दो मामलों में, यह देखा गया कि अद्वितीय विक्रेता आईडी एक से अधिक व्यक्तियों और भिन्न बैंक खाता नंबरों से जुड़ी हुई थी।

डिजिटल भुगतान को सक्षम करने के लिए, बैंक कुंजी का उपयोग भारत में इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के लिए अलग शाखाओं की पहचान के लिए किया जाता है, जो या तो एमआईसीआर कोड (9 अंक) या आईएफएससी कोड (11 अंक) होता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि देश कोड आईएन के तहत सात अभिलेख में, बैंक कुंजी न तो एमआईसीआर कोड प्रारूप में हैं और न ही आईएफएससी कोड प्रारूप में।

457 अभिलेख में, विक्रेता का नाम और पता एक ही था, हालांकि विक्रेताओं की आईडी अलग-अलग थी, जो डुप्लिकेट विक्रेताओं की उपस्थिति का संकेत देती थी। धोखाधड़ी/ गलत भुगतान के जोखिम को विक्रेता मास्टर में नकली विक्रेताओं/ काल्पनिक अभिलेख की उपस्थिति से बल मिलता है। इस प्रकार, डुप्लिकेट विक्रेताओं के शोधन पर पिछले लेखापरीक्षा के दौरान प्रदान किए गए आश्वासन पर कार्रवाई नहीं की गई है।

प्रबंधन ने कहा (अप्रैल 2019) कि अवैध बैंक कुंजी (आईएफएससी) या रिक्त बैंक खाता संख्या वाले विक्रेताओं के बैंक विवरणों की समीक्षा की गई है और विक्रेता मास्टर्स से हटा दिया गया है और रिक्त खाता धारक के नाम वाले विक्रेताओं को ब्लाक कर दिया गया है। उन दो विक्रेताओं की बैंक खाता संख्या को एचआर मास्टर के आधार पर ठीक किया गया, जो कर्मचारी विक्रेता थे। इसके अलावा, विक्रेताओं के सृजन के लिए एक उचित केंद्रीकृत प्रक्रिया रखी गई है। इसमें डुप्लीकेट विक्रेताओं, एक ही पते वाले विभिन्न विक्रेताओं, वैध आईएफएससी के साथ एक ही बैंक विवरण आदि को रोकने के लिए आवश्यक मान्यता हैं।

लेखापरीक्षा ने उचित नियंत्रण रखकर मास्टर अभिलेख में एक व्यापक समीक्षा करने और गलत/अपूर्ण प्रविष्टियों को संबोधित करने के लिए प्रबंधन को सिफारिश की।

मंत्रालय ने स्वीकार किया (अगस्त 2019) कि 457 अभिलेख में, विक्रेता का नाम और पता एक ही था, हालांकि विक्रेता आईडी भिन्न थीं जो नकली विक्रेताओं की उपस्थिति का संकेत दे रहे थे। कार्य केंद्रों को अभिलेखों की समीक्षा करने और उन विक्रेता कोड को बंद करने की सलाह दी गई जो नकली हैं। मंत्रालय ने आगे कहा कि विक्रेता मास्टर्स की व्यापक समीक्षा के बाद सुधारात्मक कार्रवाई की गई है और विक्रेता प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से विक्रेता मास्टर्स के लिए उचित और पर्याप्त नियंत्रण सुनिश्चित किया गया है।

वर्तमान लेखापरीक्षा के कहने पर की गई सुधारात्मक कार्रवाई नोट की गयी है।

iii) ब्लॉक या औचित्य के बिना अतिदेय भुगतान

भुगतान ब्लॉक कुंजियाँ[9] उन कारणों को दर्शाती हैं, जिनके कारण भुगतान को लंबित/ खुली मद की तरह रखा जाता है। इसी तरह, भुगतान ब्लॉक कुंजी में रिक्त प्रविष्टि का अर्थ उन मदों से है जो भुगतान के लिए स्वतंत्र हैं। वर्ष 2014-16[10] बीएसआई के तालिका में विक्रेताओं से संबंधित खुली मदों की जांच के दौरान, यह देखा गया कि 1,850 अभिलेख (40,91,895 अभिलेख में से) में कोई भुगतान ब्लॉक कुंजी नहीं थी, लेकिन अभी भी ₹165.17 करोड़ के भुगतान के लिए लंबित थे। प्रविष्टि की तारीख से थ्रेसहोल्ड की तारीख (31 मार्च 2017) तक देय भुगतान का समय 90 से 1,096 दिनों तक था। ऐसी लंबी अवधि के लिए भुगतान ब्लॉक के बिना खुली वस्तु के रूप में पड़ी हुई राशियां देय खाता पर अप्रभावी नियंत्रणों को इंगित करती थीं।

प्रबंधन ने कहा (अप्रैल 2019) कि सभी कार्य केंद्रों को सलाह दी गयी है कि वे खुली अतिदेय भुगतान सूची की समीक्षा करें, देयता को प्रतिवर्ती करें यदि भुगतान किए जाने की आवश्यकता नहीं है और अतिदेय भुगतान रोके रखने के कारण के साथ उपयुक्त भुगतान ब्लॉक सम्मिलित करें यदि भुगतान अभी भी किया जाना है।

लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से उचित स्तर पर खुली मद की स्वत: समीक्षा करने के लिए आवश्यक जांचों को लागू करने पर विचार कर सकता है।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा सिफारिश को स्वीकार किया और कहा (अगस्त 2019) कि ओएनजीसी द्वारा गम्भीर अवलोकन किया गया है और सभी कार्य केंद्रों को उचित सलाह दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि 19 जून 2019 तक ₹15.54 लाख रुपये की राशि वाली केवल 60 मदें लंबित है जिसके लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा एक तंत्र विकसित किया गया है जिसमें ऐसे मामलों की समीक्षा करने के लिए अतिदेय

---

[9] उदाहरणार्थ ए- भुगतान के लिए डी - पुराने मामलों के लिए ब्लॉक, आर सीवीपी अस्वीकृति ब्लॉक, पुराना चेक ब्लॉक और एक्स एपीपी भुगतान ब्लॉक

[10] चूंकि डेटा प्रकार की विसंगतियों के कारण 2017 वित्तीय वर्ष से संबंधित डेटा को जोड़ा नहीं जा सका

भुगतान खुली मदों की सूची के साथ मेल/ एसएमएस अलर्ट मासिक आधार पर संबंधित वित्त प्रमुखों को उपलब्ध कराया जाता है।

लेखापरीक्षा के कहने पर की गई सुधारात्मक कार्रवाई नोट की गयी है।

iv) डाटा प्रविष्टि करने में देरी

कंपनी की वित्त नियमावली के अनुसार दस्तावेजों की प्रविष्टि करने के लिए अनुमत अधिकतम समय अनुवर्ती महीने के 7वें दिन के अन्दर है। वित्तीय वर्ष के अंत में लेखाओं के समापन करने के दौरान दो और लेखांकन अवधि (31 मई तक) के लिए सामान्य रूप से समायोजन प्रविष्टि करने और समापन प्रविष्टियां करने के लिए लेख खुले रखे जाते हैं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 19,703 अभिलेख में से जिस के लिए पोस्ट करने की तारीख और प्रविष्टियों की तारीख के बीच का अंतर 30 दिनों से अधिक था ₹750.38 करोड़ की राशि वाले 3,134 अभिलेख उन दस्तावेज प्रकारों से संबंधित थे जो बैंक भुगतान/ प्राप्ति, विक्रेता बीज़क, जी/ एल लेखा और सीवी भुगतान प्रविष्टियों से संबंधित थे। लेनदेन की प्रविष्टि करने में देरी से पता चला कि वित्तीय भुगतान दस्तावेज़ की समय पर प्रविष्टियां सुनिश्चित करने पर नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त नहीं है।

मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2019) कि लेखापरीक्षा द्वारा बताए अनुसार दस्तावेजों की प्रविष्टियां और प्रवेश तिथि में कोई अनुचित समय अंतराल नहीं है, यह सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा लेखाओं के मासिक समापन के लिए सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। शुरू की गई सुधारात्मक कार्रवाई नोट की गई है।

v) एक बार विक्रेताओं के कई उपयोग

एक बार विक्रेता केवल एक बार या बहुत ही कम कंपनी को आपूर्ति करते हैं। प्रत्येक बार ऐसे विक्रेताओं के लिए मास्टर अभिलेख सृजित नहीं किए जाते और उनके लिए सामूहिक लेखा बनाए जाते हैं। इन लेखाओं को एक समय के लेखा के रूप में भी संदर्भित किया जाता है जिसमें कोई भी विक्रेता-विशिष्ट डेटा नहीं होता है। इसलिए खरीद या बीज़क सत्यापन के समय पता, विक्रेता, बैंक विवरण आदि जैसे डेटा दर्ज किए जाने चाहिएं।

लेखापरीक्षा ने बीएसईसी तालिका (2,88,909 अभिलेख) में एक बार में विक्रेताओं से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण किया। एक समय के विक्रेताओं वाले अभिलेख विक्रेता मास्टर टेबल के साथ जोड़े गए और नाम और शहर के लिए मिलान किया गया। यह देखा गया कि कुछ एक समय के विक्रेताओं के दो से 86 तक और एक ही कंपनी कोड में कई एक जैसे अभिलेख थे। यह इंगित करता था कि नियमित विक्रेताओं के लिए विक्रेता मास्टर डेटा बनाने के बजाय एक बार विक्रेता विधि का उपयोग किया जा रहा है, जो उचित नहीं है। एक बार के विक्रेताओं के लिए बार-बार किए गए जाने वाले भुगतान ने

धोखाधड़ी के जोखिम की उपस्थिति का संकेत दिया। प्रबंधन कंपनी कोड्स पर ध्यान केंद्रित करना पसंद कर सकता है -एमएचएन (मेहसाणा), एसबीएस (शिबसागर), एएमडी (अहमदाबाद) जिसमें एक समय के विक्रेताओं के 350 से अधिक अभिलेख और केकेएल (कराईकल)' आरजेवाई (राजमुंद्री) और डीएलआई (दिल्ली) के प्रत्येक के 150 से अधिक अभिलेख हैं।

प्रबंधन ने कहा (अप्रैल 2019) कि सभी इकाइयों को नियमित प्रकार के भुगतानों के लिए एक समय के विक्रेता कोड का उपयोग नहीं करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि प्रबंधन यह सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रणों को अनुकूलित कर सकता है कि नियमित भुगतान के लिए एक समय विक्रेता भुगतान की सुविधा का उपयोग नहीं किया जाता है और एक प्रणाली में एक बार विक्रेता को भुगतान की संख्या पर एक सीमा लगाई जाती है।

प्रबंधन ने एग्जिट कॉनफरेंस में सिफारिश को स्वीकार कर लिया। मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2019) कि एक प्रणाली नियंत्रण रखा गया है, जिसमें एक चेतावनी संदेश दिया जाता है, जब भी एक बार विक्रेता का उपयोग किया जाता है और केवल एक बार पैन/ आधार नंबर जैसी विशिष्ट पहचान के आधार पर एक बार के विक्रेता को भुगतान की अनुमति दी जाती है।

vi) निरंतर गैर-डिजिटल भुगतान

ओएनजीसी बैंक संचार प्रबंधन (बीसीएम) विधि का उपयोग घरेलू बैंक एसबीआई के साथ इलेक्ट्रॉनिक भुगतान करने के लिए कर रहा है जो डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित हैं। ओएनजीसी के आंतरिक दिशानिर्देशों में अनुबद्ध था कि डिजिटल मोड के माध्यम से सभी भुगतान किए जाएँ। चैक भुगतान, यदि आवश्यक हो, तो अध्यक्ष, वित्त की स्वीकृति के साथ किया जाना था। 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2018 की अवधि के दौरान चैक भुगतान से संबंधित डेटाओं के विश्लेषण से निम्नलिखित का पता चला था:

- ₹2.50 लाख करोड़ से अधिक के मूल्य के कुल 1,88,971 अभिलेख (अवैध चेक के अलावा) ने संकेत दिया कि चेक भुगतान अभी भी जारी है। कंपनी कोड मेहसाणा, अहमदाबाद और राजमुंदरी में अधिकतम चेक जारी किए गए थे। 7,399 अभिलेख में भुगतान सप्ताहांत (शनिवार और रविवार) को किया गया था जिसमें से 1,000 से अधिक चेकों में ₹9,069 करोड़ मूल्य का भुगतान चार उपयोगकर्ताओं द्वारा किया गया था। 6,327 अभिलेख में विक्रेता संख्या रिक्त है जिसमें निजी पार्टियों (सांविधक प्राधिकरणों/ बैंकों के अलावा) के भुगतान शामिल थे।

- अवैध चेक के संबंध में यह पाया गया कि कुल 14,363 अवैध चेक के 234 अभिलेख में संबंधित फील्ड् में कोई कारण दर्ज नहीं किया गया था। एक मानकीकृत व्याख्या आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करती है।

प्रबंधन ने कहा (दिसंबर 2018) कि:

- कुल 1,88,971 मदों में से 1,153 मदों, जिनमें ₹2.025 लाख करोड़ (लगभग) शामिल हैं, दिल्ली और देहरादून इकाइयों से हैं जो विक्रेता भुगतान के अलावा अन्य श्रेणियों से संबंधित हैं। ये भुगतान निवेश और लाभांश, सांविधिक निकायों/ न्यासों के लिए प्रेषण, आंतरिक निधि अंतरण, जेवी भुगतान आदि से संबंधित थे। इसके अलावा दिशानिर्देशों के अनुसार एलसी, प्रेषण, अन्य विदेशी मुद्रा भुगतान आदि के भुगतान के लिए बैंक के पक्ष में भी चेक जारी किया जाता है जो आरटीजीएस मोड के माध्यम से बनाए जाते हैं।
- प्रणाली में अवैध कारण संख्या 11 टेक्स्ट के बिना है। प्रणाली मैपिंग को 'अन्य' के रूप में इसे विशिष्ट बनाने के लिए शुरू किया गया है।

लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि घरेलू बैंक और व्यवहार्यता से जुड़े लेनदेन के दोहराने वाले स्वरूप पर विचार करते हुए प्रबंधन को विदेशी मुद्रा भुगतान को डिजिटाइज़ करने की आवश्यकता है।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा सिफारिश को स्वीकार किया और कहा (अप्रैल/ मई 2019) कि विदेशी मुद्रा भुगतान और निवेश को डिजिटाईज़ करने की संभावनाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2019) कि सभी इकाइयों और निवेशों में विदेशी मुद्रा भुगतान, ऋण/ ब्याज का पुनर्भुगतान या तो डिजिटल मोड या प्राधिकार पत्रों के माध्यम से किया जाता है।

vii) मद के टैक्सट का गैर अभिग्रहण

व्याख्या (मद का टैक्सट) उन अभिलेखों में अधिक निष्पक्षता और स्पष्टता लाने में सहायता करती है जिन्हें लेखांकन दस्तावेजों में अभिगृहीत किया जाता है। बीएसआईके तालिका में (2014-16 की अवधि के दौरान 40,91,895 अभिलेखों वाली) लेन-देन का व्याख्या फील्ड् 8,517 अभिलेखों में रिक्त था।

प्रबंधन/ मंत्रालय ने उत्तर दिया (अप्रैल/ अगस्त 2019) कि इस बात को सुनिश्चित करने के लिए ईकाइयों को निर्देश जारी किए गए हैं कि प्रणाली में प्रविष्टियों के सृजन के समय उचित व्याख्या का रखरखाव किया जाए।

viii) भुगतान विवरणों का गैर/ गलत अभिग्रहण

पीएवाईआर एक भंडार तालिका है जिसमें विक्रेताओं आदि को किए गए चेक भुगतानों का विवरण होता है। कंपनी द्वारा प्रस्तुत डेटा (पीएवाईआर तालिका) की समीक्षा पर लेखापरीक्षा ने पाया कि 17,330 अभिलेख, जहां चेक नकदीकरण की तरीख शून्य है, में से 2,422 अभिलेख उन चेक से संबंधित थे जो ₹5,492 करोड़ के मूल्य वाले अवैध चैक और तीन वर्ष से अधिक पुराने नहीं थे।

प्रबंधन ने कहा (अप्रैल 2019) कि विस्तृत विश्लेषण किया गया था और यह देखा गया कि 297 अभिलेख एलसी/ विदेशी मुद्रा व्यवस्था के भुगतान से संबंधित थे, 1,344 ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से किए गए सांविधिक भुगतान थे और 1,130 अभिलेख ओवीएल/ ओबीवी कंपनी कोड से संबंधित थे।

लेखापरीक्षा ने उन मामलों की समीक्षा करने के लिए प्रबंधन को सिफारिश की जहां ऑनलाइन भुगतान किए गए हैं लेकिन अभी भी पीएवाईआर तालिका में चेक भुगतान के तहत दिखाई दे रहे हैं।

मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2019) कि प्रणाली जांच को प्रारम्भ कर दिया गया है जिसके तहत चेक नकदीकरण की तारीख रिक्त नहीं होगी। पीएवाईआर तालिका में दिखाई देने वाले ऑनलाइन भुगतान के संबंध में यह कहा गया था कि एलसी, प्रेषण,अन्य विदेशी मुद्रा व्यवस्था भुगतान आदि के लिए बैंकों के पक्ष में भी चेक जारी किया जाता है, जो डुप्लीकेट भुगतान की संभावना को रोकने के लिए आरटीजीएस मोड के माध्यम से किए जाते हैं।

लेखापरीक्षा के कहने पर की गई सुधारात्मक कार्रवाई नोट की गयी है।

9.2.8.3 अनुकूलन की त्रुटियां

i) सांख्यिकीय कुंजी आंकड़ा (एसकेएफ) के उपयोग में असंगति

एक सांख्यिकीय कुंजी आंकड़ा एक संख्या होती है जो संगठनात्मक इकाइयों से संबंधित गैर मौद्रिक डेटा के बारे में जानकारी प्रदान करती है। ये आंकड़े रिपोर्टिंग और आवंटन में हो सकते हैं और आंतरिक आदेशों, लागत केंद्रों और लाभ केंद्रों में सांख्यिकीय आँकड़ों के दयोतक होते हैं जिसे मात्रा या समय इकाइयों में मापा जाता है और लागत के आवंटन के लिए उपयोग किया जाता है।

कंपनी कोड और अवधि के दौरान एसकेएफ को अपनाने में स्थिरता की समीक्षा करने के लिए, टेबल सीओकेए, सीओकेपी, सीओबीके, सीओइपीआर,सीएसकेयू और एसकेएफ[11] को सामान्य फील्डों का उपयोग करके शामिल किया गया था और निम्नलिखित देखे गए थे:

- 63 लागत केंद्र समूहों में विवरण रिक्त है और 66 लागत केंद्र समूह थे जिनके डुप्लीकेट होने की संभावना हैं और एक समीक्षा की आवश्यकता होगी।
- ड्रिलिंग लागतों के लिए एसकेएफ को अपनाने के लिए कंपनी में कोई समान प्रथा नहीं है।

प्रबंधन/ मंत्रालय ने खाली विवरण फील्डों के संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई और लागत आवंटन में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए आश्वासन दिया (अप्रैल 2019/ अगस्त 2019) और बताया कि लागत चक्र 2019-20 के दौरान एसकेएफ में आवश्यक परिवर्तन किए जाएंगे।

9.2.8.4 मान्य जाँच और इनपुट नियंत्रण

i) इनपुट नियंत्रण में कमी और डेटा की मान्यता

इनपुट नियंत्रण अनुप्रयोग नियंत्रण हैं जो सूचना की सटीकता, सत्यनिष्ठा, विश्वसनीयता, गोपनीयता और पूर्णता सुनिश्चित करते हैं।

क) परिसम्पति लेखांकन

प्रणाली स्वचालित रूप से सर्वर की तारीख को दस्तावेज़ की प्रविष्टि की तारीख के रूप में चुनती है। लेनदेन आम तौर पर दस्तावेजों (उदाहरण के लिए बिल/ बीज़क) की प्राप्ति के बाद प्रविष्ट किए जाते हैं।

यह देखा गया कि:

- 3,06,057 अभिलेखों में दस्तावेज की तारीख प्रविष्टि की तरीख के बाद थी। 8 अभिलेखों में दस्तावेज़ तिथि लेखापरीक्षा की वर्तमान तिथि यानी सितंबर 2018 के बाद की है। (उदाहरण के लिए 28 नवम्बर 2018, 30 सितम्बर 2019, 30 सितम्बर 2201, 07 नवम्बर 2201)।
- 52,856 अभिलेखों में दस्तावेजों में प्रविष्टि करने में देरी को 61 दिनों से लेकर 10 वर्ष से अधिक दर्शाया गया।

---

[11] *नियंत्रण मॉड्यूल तालिकाएं हैं जिसमें ऑब्जेक्ट संख्या, लागत तत्व और सांख्यिकीय प्रमुख आंकड़े का विवरण दिया गया है*

प्रबंधन ने कहा (अप्रैल 2019) कि दस्तावेजों में समय पर प्रविष्टि करने में देरी मुख्य रूप से आईएनडी-एएस के लागू करने और लेखाओं के तिमाही/ वार्षिक समापन के कारण हुई। इसने आगे कहा कि मासिक आधार पर लेखाओं को बंद करके अंतर को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2019) कि प्रणाली जाँच शुरू की गई है जहाँ दस्तावेज़ की तारीख प्रणाली की तारीख और लेखाओं के मासिक समापन के लिए की गई सुधारात्मक कार्रवाई के बाद नहीं हो सकती है।

ख) लागत केंद्र लेखांकन

सीओबीके नियंत्रित करने के आब्जेक्ट का दस्तावेज़ हेडर डेटा टेबल है। डेटा अभिलेखों (91,64,158 अभिलेखों) की समीक्षा से पता चला कि 1,73,595 अभिलेखों में दस्तावेज़ की तारीख 31 मार्च 2018 से अधिक है (जैसे 22 मई 2041, 25 अप्रैल 2201, 23 मई 2314, 02 दिसम्बर 2020 आदि)। 12 अभिलेखों में दस्तावेज़ की तारीख सही नहीं है और अन्य 6 अभिलेख; दस्तावेज़ की तारीख 2001-2011 से संबंधित थीं जब प्रविष्टि की तारीख/ पोस्टिंग की तारीख 2014-18 से संबंधित थी।

लेखापरीक्षा ने प्रबंधन को दस्तावेज़ की प्रविष्टि की तारीख को मान्य करने पर विचार करने का सुझाव दिया।

प्रबंधन ने कहा (अप्रैल 2019) कि मान्यकरण इस प्रभाव तक रखा जाएगा कि दस्तावेज की तारीख प्रणाली की तारीख 30 अप्रैल 2019 के बाद न हो। मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2019) कि सिस्टम चेक शुरू किया गया है जहाँ दस्तावेज़ की तिथि सिस्टम तिथि के बाद नहीं हो सकती है।

लेखापरीक्षा के कहने पर की गई सुधारात्मक कार्रवाई नोट की गई है।

9.2.8.5 कर्तव्य का पृथक्करण

कर्तव्य पृथक्करण सिद्धांत के लिए आवश्यक है कि यह सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण बनाए जाएं कि डेटा प्रविष्टि के लिए कर्तव्यों का उचित पृथक्करण हो और जहां कर्तव्यों का पृथक्करण संभव नहीं है, वहां प्रतिकारी नियंत्रण हैं। आम तौर पर यह स्वीकार किया जाता है कि डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी एक व्यक्ति की कार्रवाईयों/ निष्क्रियता से संभावित क्षति से बचने/ कम करने के लिए मास्टर रिकॉर्ड के सृजन, परिवर्तन और विलोपन को विभिन्न व्यक्तियों में निहित किया जाए। टेबल की जांच के दौरान यह देखा गया कि 1,30,733 रिकॉर्ड में मास्टर डाटा बनाया गया है और उसी व्यक्ति ने बदल दिया है।

प्रबंधन/ मंत्रालय ने कहा (अप्रैल/ अगस्त 2019) कि परिसंपत्ति के सृजन और परिसंपत्ति में बदलाव के लिए दो अलग-अलग भूमिकाएँ सृजित की गई हैं। मंत्रालय ने आगे कहा कि भूमिकाओं के मौजूदा असाइनमेंट को 01 जून 2019 से अपने आप हटा दिया जाएगा।

9.2.8.6 प्रशिक्षण के प्रयास

उपयोगकर्ता की जागरूकता के स्तर को बढ़ाने और डेटा इनपुट की त्रुटियों को कम करने के लिए अंतिम उपयोगकर्ता/ रिफ्रेशर प्रशिक्षण विवरण प्रबंधन से मंगवाए गए थे। प्रबंधन ने कहा (अप्रैल 2019) कि हर साल रिफ्रेशर प्रशिक्षण अंतिम उपयोगकर्ताओं को दिया जाता है। यह भी बताया गया कि ई-लर्निंग उपयोगकर्ताओं के लाभ के लिए वेब पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध है।

लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि प्रणाली में त्रुटि मुक्त इनपुट की सुविधा के लिए उपयोगकर्ताओं के अद्यतन प्रशिक्षण को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।

मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2019) कि एसएपी एफआईसीओ मॉड्यूल प्रशिक्षण को वार्षिक कैलेंडर में शामिल करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

9.2.8.7 निष्कर्ष

नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक के 2008 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 10 (अध्याय VII) में विरासती प्रणाली से डेटा के अनुकूलन, इनपुट नियंत्रण और प्रवासन में कमियों को इंगित किया गया है। रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि कंपनी को समीक्षा करनी चाहिए और लागतों के आवंटन और मास्टर डेटा की आवधिक समीक्षा से संबंधित नियंत्रणों, व्यापार नियम मापन को सुदृढ करके कमियों को दूर करना चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रतिवेदन में बताए गए कुछ मुद्दों का प्रबंधन द्वारा सुधार किया गया था और आश्वासन के बावजूद कुछ मुद्दे अभी भी बरकरार हैं ***(अनुलग्नक XXV*** में विवरण)। पुन: बताए जाने के बाद ही मंत्रालय ने खामियों को परिशोधित किया। इस प्रतिवेदन में बताये गये अधिकांश मुद्दे अंतराल को नियंत्रित करने से संबंधित थे जिनमें नए मुद्दे भी शामिल थे। यद्यपि मास्टर डेटा की आवधिक समीक्षा की सिफारिश की गई थी, फिर भी एसेट मास्टर टेबल्स में कमियां अभी भी बनी रहीं। इसके अलावा इनपुट नियंत्रण और लागत आवंटन के मानकीकरण पर कुछ मुद्दे अभी भी कायम हैं।

इन मुद्दों को मौजूदा त्रुटियों के सुधार के अलावा उपयुक्त नियंत्रण रखकर संबोधित किया जा सकता है। प्रणाली में त्रुटि मुक्त इनपुट को सक्षम करने के लिए उपयोगकर्ताओं के अद्यतन प्रशिक्षण को भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। प्रणाली के माध्यम से वित्तीय क्रियाविधियों में संगठन में संगतता और एकरूपता वांछित है।

प्रबंधन इन निष्कर्षों पर संकेतक के रूप में विचार करना चाहेगा और एक व्यवस्थित और आवधिक समीक्षा करेगा। मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2019) कि लेखा परीक्षा टिप्पणियों के बाद, ओएनजीसी ने सुधारात्मक उपाय करने और कमियों को सुधारने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं।

9.3 बिक्री करार के अनुसार मानकों के ऊपर तल अवसाद एवं पानी युक्त कच्चे तेल की बिक्री के कारण राजस्व की हानि

कच्चे तेल की आपूर्ति में तल अवसाद एवं पानी की मात्रा को मानकों के अनुसार बनाए रखने की सुविधाओं को अनुमोदित समय-सारणी के अन्दर उन्नत एवं सृजित करने की ओएनजीसी की विफलता के परिणामस्वरूप ₹27.06 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) ने कच्चे तेल की बिक्री के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया (अप्रैल 2002)। कच्चे तेल में तल अवसाद एवं पानी (बीएसएंडडब्ल्यू) की मात्रा 0.2 *प्रतिशत* से अधिक होने पर, बिक्री मूल्य स्लैब दरों में छूट निम्न के अध्यधीन थी:

बीएस एंड डब्ल्यू के लिए छूट (*प्रतिशत* में मात्रा)	छूट (प्रति बैरल यूएस डॉलर)
0.2 प्रतिशत से कम	शून्य
0.2 प्रतिशत से 0.5 *प्रतिशत* तक से कम व इसके बराबर	*0.10*
0.5 प्रतिशत से *1.0 प्रतिशत* तक से कम व इसके बराबर	*0.15*
0.5 प्रतिशत की प्रत्येक वृद्धि के लिए	*0.05*

असम में ओएनजीसी के तेल क्षेत्र गेलकी, लकवा, रूद्रसागर और नॉर्थ बैंक में स्थित हैं। इन क्षेत्रों में उत्पादित कच्चे तेल को लकवा और गेलकी क्षेत्रों पर सेन्ट्रल टैंक फार्म (सीटीएफ) में संगृहीत किया जाता है, जिसे मोरन और जोरहाट में कस्टडी सेन्ट्रल टैंक फार्म (सीसीटीएफ) को भेजा जाता है। कच्चे तेल की आपूर्ति आखिरकार ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) की पाइपलाइन के माध्यम से आईओसीएल की गुवाहाटी व बोंगईगांव रिफाइनरीज और बीपीसीएल की नुमालीगढ़ रिफाइनरी को की जाती है। इन क्षेत्रों से उत्पादित तेल में बीएसएंडडब्ल्यू की मात्रा उच्च होती है, जिसके कारण कच्चे तेल के आगे के प्रसंस्करण के लिए रिफाइनरीज को आपूर्ति से पहले बीएसएंडडब्ल्यू मात्रा का स्तर 0.2 *प्रतिशत* से नीचे लाने की आवश्यकता होती है। इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- असम नवीकरण योजना (एआरपी) - ''लकवा एवं लखमनी क्षेत्रों और मोरन सीटीएफ के लिए सरफेस इंस्टालेशन व गैस लिफ्ट/ पाइपलाइन नेटवर्क का पुनर्निर्माण और अनुकूलन'' योजना ए को ₹2,465.15 करोड़ की अनुमानित लागत

के साथ बहुत पहले ही दिसम्बर 2005 में संकल्पनात्मक रूप दिया गया था। परियोजना के प्रमुख प्रदेय में से एक बीएसएंडडब्ल्यू स्तर को 0.2 *प्रतिशत* से नीचे नियंत्रित करना था। परियोजना मार्च 2013 में समापन समय सीमा के साथ मार्च 2009 में अवार्ड की गयी थी; परियोजना को अभी भी पूर्ण नहीं किया गया है।

- निर्धारित पांच जीजीएस[12] के लक्ष्य में से चार जीजीएस का योजना-ए के तहत पुनर्निर्माण किया जा चुका है तथापि पुनर्निर्माण सुविधाएं कच्चे तेल की वांछित गुणवत्ता में सुधार करने में विफल रही हैं, क्योंकि 2015-16 से 2019-20 के दौरान औसत बीएसएंडडब्ल्यू तत्व की मात्रा (अक्टूबर 2019 तक) लगभग 0.2 से 1.799 *प्रतिशत* थी।
- ओएनजीसी ने कच्चे तेल में बीएसएंडडब्ल्यू तत्व की मात्रा को कम करने के लिए अतिरिक्त उपायों अर्थात् टैंकों की सफाई और मरम्मत करने की परिकल्पना की। लेखापरीक्षा ने देखा कि असम एसेट में स्थापित किए गए 168 तेल और बहि:प्रवाह टैंकों में से 49 भंडारण टैंक लकवा और लखमनी फील्ड्स में है, जिनकी सफाई और मरम्मत एआरपी परियोजना के पूरा होने के बाद की जाएगी । शेष 119[13] भंडारण टैंकों में से केवल 40 टैंको की सफाई और मरम्मत नवम्बर 2019 तक की गई थी।
- असम एसेट से आपूर्ति किए गए कच्चे तेल में अप्रैल 2013 से अक्टूबर 2019 (मार्च 2013 के बाद की अवधि, परियोजना के पूरा होने की समय-सीमा) की अवधि के दौरान बीएसएंडडब्ल्यू की मात्रा 0.164 से 0.417 *प्रतिशत* तक थी, जिसके परिणामस्वरूप ओएनजीसी को ₹27.06 करोड़ की राशि की कीमत में छूट/ राजस्व की हानि हुई थी।

ओएनजीसी/ मंत्रालय ने (नवम्बर 2019/ मार्च 2020) में कहा कि:

- मई 2019 में एक और संस्थापन (एलकेएच जीजीएस-5) का पुनर्निर्माण पूरा हो गया है और परिचालन में डाल दिया गया है। एलकेडब्ल्यू जीजीएस-1 को दिसम्बर 2019 में चालू किया गया है और यह ट्रायल रन के तहत है; एलकेडब्ल्यू सीटीएफ प्रगति पर है। हालांकि, कई बार गतिशील प्रक्रिया की स्थिति के कारण वांछित गुणवत्ता को प्राप्त करना मुश्किल हो जाता हैं और सीटीएफ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हैं क्योंकि सीटीएफ में बेहतर स्थायीकरण और पृथक्करण के परिणामस्वरूप क्रूड में बीएसएंडडब्ल्यू कम होता हैं।

---

[12] जीजीएस- ग्रुप गैदरिंग सिस्टम- यहां कुओं से उत्पादित गैस के साथ इमल्शन को एकत्रित किया जाता हैं, जहां सेपरेटर के माध्यम से तरल व गैस को अलग किया जाता हैं

[13] 119 टैंको में से, 6 नये टैंक हैं, 7 टैंक उपयोग में नहीं हैं और 5 टैंक मरम्मत के अधीन हैं

- बीएसएंडडब्ल्यू कम करने के लिए भंडारण टैंकों की सफाई/ मरम्मत एक सीधा उपाय नहीं है। हालांकि, टैंकों की सफाई/ मरम्मत अधिक रसाव और पानी को स्थिर करने के लिए अधिक समय प्रदानकरता है जिससे बेहतर जल पृथक्करण और कम बीएसएंडडब्ल्यू की मात्रा प्राप्त करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से सुविधाएं मिलती हैं। इसके अलावा 40 टैंकों को 15 नवम्बर 2019 तक साफ किया गया है, पांच टैंकों का कार्य प्रगति पर हैं और शेष टैंकों के लिए कार्य पूरा होने की अपेक्षित तिथि अप्रैल 2023 हैं।
- रिफाइनरी डिस्पैच में बीएसएंडडब्ल्यू को कम करने के लिए असम एसेट ने कठिन प्रयास किये थे और लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹4.49 करोड़ से वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹1.91 करोड़ तक प्रदत्त छूट की कमी हुई। बीएसएंडडब्ल्यू की मात्रा की सीमा वित्तिय वर्ष 2018-19 के दौरान 0.297 से 0.164 *प्रतिशत* थी , जो महत्वपूर्ण सुधार दर्शाता हैं।
- निम्न कारणों से हाल के दिनों में वांछित गुणवत्ता प्राप्त नहीं की जा सकी (i) पुन:निर्मित और अल्प-पुननिर्मित संस्थापनों सें क्रूड का मिश्रण (ii) हीटर ट्रीटर उपकरण 35 वर्ष से अधिक पुराने हैं और इन्हें बदलने की आवश्यकता है (iii) चालू संस्थापनों में टैंकों की मरम्मत और सफाई एक धीमी और निरंतर प्रक्रिया है और केवल रिफाइनरियों के शटडाउन से जोड़कर क्रमिक रूप से की जा सकती हैं (iv) अधिक मात्रा में क्रूड जीजीएस/ सीटीएफ में रसाव बनाने के लिए रिफाइनरियों को भेजा जाना था, जिसके कारण अंतिम पृथककरण आदि के लिए निपटान समय कम होने की वजह से तेल डिस्पैच में बीएसएंडडब्ल्यू में वृद्धि हुई।

उत्तर को निम्नलिखित के परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है:

- एलकेडब्ल्यू-जीजीएस-1 को दिसम्बर 2019 (मार्च 2013 की समापन समय सीमा के प्रति) में चालू किया गया है और ट्रायल रन पूरा हुआ है (जनवरी 2020)। एलकेडब्ल्यू - सीटीएफ पर कार्य अभी भी जारी है। इस प्रकार एआरपी जिसकी काफी पहले दिसम्बर 2005 में संकल्पना की गयी, 15 वर्ष से अधिक की अवधि के बाद अभी भी पूरा नहीं हुआ है।
- बीएसएंडडब्ल्यू मात्रा का वांछित स्तर सभी चार पूरे हुए जीजीएस में प्राप्त नहीं किया जा सका, जिसका स्तर जीजीएस के चालू होने के बाद 0.2 से 0.584 *प्रतिशत* की सीमा में रहा।
- अतिरिक्त उपाय जैसे कि टैंकों की सफाई और मरम्मत, तेल में घुलनशील विपायसक आदि का उपयोग असम क्रूड में बीएसएंडडब्ल्यू मात्रा को वांछित स्तर तक कम नहीं कर सके हैं।

- 2019-20 (अक्टूबर 2019 तक) की अवधि के दौरान, बीएसएंडडब्ल्यू की मात्रा सभी महीनों में 0.2 *प्रतिशत* के वांछित स्तर से ऊपर रही और इस अवधि के दौरान ओएनजीसी को ₹2.86 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। इस तरह तल अवसाद एवं पानी की मात्रा को वांछित स्तर पर बनाए रखने हेतु पुनर्निर्माण में किया गया व्यय निष्फल रहा।
- ओएनजीसी को समयबद्ध तरीके से मुद्दे को सम्बोधित करना चाहिए ताकि ओएमसी को गुणवत्तापूर्ण क्रूड की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

अत: असम नवीकरण परियोजना के कार्यान्वयन में देरी और निर्धारित मानकों के अंदर बीएसएंडडब्ल्यू की मात्रा को बनाए रखने की विफलता के कारण ओएनजीसी को अप्रैल 2013 से अक्टूबर 2019 की अवधि के दौरान ₹27.06 करोड़ के राजस्व की हानि उठानी पड़ी।

इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड

9.4 प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत निर्धारण के अविनियमन का क्रियान्वयन

9.4.1 प्रस्तावना

भारत सरकार (जीओआई) जुलाई 1975 से प्रशासित कीमत निर्धारण तंत्र (एपीएम) के माध्यम से कीमतों को नियंत्रित करती थी। 1997 में, तेल उद्योग ('आर' समूह) की पुन: संरचना पर नीतिगत योजना समूह की सिफारिशों के आधार पर एक चरणबद्ध तरीके में एपीएम को विघटित करने का निर्णय किया गया था। 1998 में, ईंधन तेल, लो सल्फर हैवी स्टॉक (एलएसएचएस) और नेफ्था और इसके बाद 2001 में एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) को अविनियमित किया गया था। मोटर स्पिरिट (एमएस) और हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) को क्रमश: 25/ 26 जून 2010 और 18/ 19 अक्टूबर 2014 की मध्यरात्रि से अविनियमित किया गया था।

अविनियमन के परिणामस्वरूप, पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों का निर्धारण बाजार करता हैं और तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) कीमतों को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है। एमएस/ एचएसडी की कीमतों को 16 जून 2017 से देश के सभी खुदरा आऊटलेट्स में दैनिक रूप से संशोधित किया जा रहा है जो पखवाड़े में संशोधित की जा रही थी।

9.4.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य तथा कार्यक्षेत्र

अनुपालन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों को मौटे तौर पर निम्नलिखित के बारे में रिपोर्ट करना था:

- दैनिक कीमत निर्धारण तंत्र का कार्यान्वयन और ओएमसी द्वारा इसकी निगरानी किया जाना।
- क्या अविनियमन एमएस/ एचएसडी की कीमतों के संबंध में बाजार में प्रतिस्पर्धा लाया है।

लेखापरीक्षा ने मुख्य रूप से 2014-15 से 2017-18 की अवधि को शामिल किया अर्थात पश्य एचएसडी अविनियमन

9.4.3 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंडों में निम्नलिखित के लिए प्रावधान शामिल थे:

- एमएस और एचएसडी की खुदरा बिक्री कीमत (आरएसपी) को अविनियमित करने के लिए भारत सरकार की नीति और जारी किए गए परिपत्र।
- 16 जून 2017 से ओएमसी द्वारा कार्यान्वित दैनिक कीमत निर्धारण के तंत्र की निगरानी।

9.4.4 लेखापरीक्षा कार्यपद्धति

20 जुलाई 2018 को ओएमसीज़ के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ एन्ट्री कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र और पद्धति पर चर्चा की गई थी। क्षेत्रीय लेखापरीक्षा अगस्त से नवम्बर 2018 तक की अवधि के दौरान की गई थी। इसमें ओएमसी के खुदरा मुख्यालय से सांख्यिकीय डेटा का संग्रहण और चयनित खुदरा आऊटलेट् (आरओ) और आरओ को नियंत्रित करने वाले कार्यालयों पर लेखापरीक्षा दलों के दौरे शामिल किए गए थे। कुल 55,013 आरओ (31 मार्च 2017 तक) में से, 188 आरओ विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए प्रति चयन आधार पर चयनित किए गए थे।

9.4.5 लेखा परीक्षा निष्कर्ष- ओएमसी द्वारा एमएस/ एचएसडी तथा इसकी मॉनीटरिंग पर दैनिक कीमत निर्धारण का क्रियान्वयन

ओएमसीज़ ने 1 मई 2017 से परीक्षण आधार पर पांच शहरों में तथा 16 जून 2017 से सम्पूर्ण देश में एमएस तथा एचएसडी के आरएसपी में दैनिक परिवर्तन को प्रभावित किया जो तब तक पंद्रह दिनों में संशोधन किया जा रहा था । इस निर्णय को स्वचालित तथा गैर-स्वचालित आरओ के माध्यम से लागू किया गया। कीमत परिवर्तन को प्रतिदिन प्रात: 6 बजे से केन्द्रीय सर्वर के माध्यम से स्वचालित आरओ पर कीमत फाइल सृजित कर के लागु किया जाता है जिसे सिस्टम में अद्यतित किया जाता है। अद्यतित करने में विफलता के मामलें में, डीलर एसएमएस, ईमेल, वेबपोर्टल, मोबाईल ऐप आदि के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर कीमतों को मैनुअल अद्यतित करता है। गैर-स्वचालित आरओ

के मामले में, डीलर ओएमसीज़ से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रतिदिन कीमतों में परिवर्तन करते हैं।

31 मार्च 2017 तक तीन ओएमसीज़[14] के नियंत्रण के अधीन 55,013 खुदरा आउटलेट थे जिनमें से 22,014 स्वचालित[15] तथा 32,999 गैर-स्वचालित[16] खुदरा आउटलेट थे। लेखापरीक्षा ने सांख्यिकीय नमूने के आधार पर नमूना जांच के लिए 188 आरओ (स्वचालित-61 तथा गैर-स्वचालित-127) का चयन किया। चयनित आरओ के संबंध में जनवरी तथा मई 2018 माह के बिलों के साथ दैनिक कीमत परिवर्तन की विस्तृत जांच की गई। इसके अलावा, वर्ष 2017-18 के लिए आरओ की निरीक्षण रिपोर्ट, ऑडिट ट्रेल्स, शिकायतों सहित रजिस्टर आदि की भी क्षेत्रीय दौरे के दौरान जांच की गई।

एमओपीएनजी और ओएमसीज़ से प्राप्त प्रासंगिक रिकार्डस और सूचनाओं की जॉच सहित संबंधित अधिकारियों के साथ हुई चर्चा के परिणामस्वरूप ओएमसी द्वारा तैयारी, क्रियान्वयन तथा मॉनीटरिंग से संबंधित निम्नलिखित आपत्तियां सुनिश्चित हुई।

9.4.5.1 तैयारियों की पर्याप्तता

आरओ के स्वचालन का अभाव और निरंतर कनेक्टिवीटी की अनुपस्थिति

- निरंतर संपर्क के साथ प्राइसपुश एप्लीकेशन सहित आरओ का स्वचालन कीमत के शीघ्र तथा सही परिवर्तन को सुनिश्चित करता है क्योंकि यह मैनुअल हस्तक्षेप को समाप्त करता है। ओएमसी ने जून 2017 में 43 *प्रतिशत* आरओ का स्वचालन किया था जिसने नीति को लागू करते समय तैयारी के अभाव को दर्शाया। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशों (नवम्बर 2017) के अनुसार, सभी आरओ का स्वचालन दिसम्बर 2018 तक पूर्ण किया जाना था। तथापि, दिसम्बर 2018 तक तीन ओएमसी द्वारा ₹1,487 करोड़ की पूंजी के साथ केवल 80 *प्रतिशत* आरओ का स्वचालन किया गया था।

  स्वचालन की धीमी प्रगति की वजह से पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने वर्ष 2018-19 के लिए ओएमसी हेतु समझौता ज्ञापन के तहत सभी आरओ के स्वचालन का लक्ष्य निर्धारित किया। मार्च 2019 तक आईओसीएल तथा बीपीसीएल क्रमश: 98 तथा 93 *प्रतिशत* आरओ का स्वचालन कर सके तथा एचपीसीएल दैनिक कीमत निर्धारण के क्रियान्वयन से लगभग 20 माह के पश्चात् पूर्ण स्वचालन प्राप्त कर सका।

---

[14] ***आईओसीएल-25,951, एचपीसीएल-14,992 तथा बीपीसीएल-14,070***

[15] ***आईओसीएल-9,925, एचपीसीएल-5,033 तथा बीपीसीएल-7,056***

[16] ***आईओसीएल-16,026, एचपीसीएल-9,959 तथा बीपीसीएल-7,014***

- एचपीसीएल तथा बीपीसीएल के मामले में, कुछ आरओ जो दैनिक प्राइसपुश के अनुवर्ती थे, मुख्य रूप से निरंतर कनेक्टिविटी के अभाव की वजह से पुशड-प्राइस सफलतापूर्वक प्राप्त नहीं कर सके। 16 जून 2017 से 30 जून 2018 तक की अवधि के लिए एचपीसीएल के डेटा की समीक्षा ने दर्शाया कि दैनिक विफलता दर 9 तथा 88 *प्रतिशत* के बीच थी तथा बीपीसीएल हेतु (20 जून 2017 से 30 जून 2018 तक) 59 तथा 93 *प्रतिशत* के बीच थी। आईओसीएल ने सर्वर द्वारा दैनिक कीमतों के प्रसार से संबंधित डेटा प्रदान नहीं किया। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि दौरा किए गए आठ आईओसीएल स्वचालित आरओ में से किसी में भी सतत कनेक्टिविटी नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप डीलरों द्वारा हस्त्य रूप से कीमत से परिवर्तन हुआ।
- क्षेत्रीय दौरे के दौरान यह पाया गया कि केन्द्रीय सर्वर द्वारा स्वचालित रूप से बढ़ाए जाने के बजाय स्वचालित आरओ पर हस्त्य रूप से डीलरों द्वारा दैनिक आरएसपी को परिवर्तित किया गया था । जैसा कि नीचे विवरण तालिकाबद्ध दिया गया है:

तालिका 9.4.1: स्वचालित आरओ पर हस्त्य रूप से परिवर्तित किए जा रहे आरएसपी के मामलों का विवरण

ओएमसी	नियंत्रक कार्यालय का नाम	स्वचालित आरओ (संख्याएं)	स्वचालित आरओ की संख्या जहां दैनिक कीमतों को हस्त्य रूप से एवं दौरे के दिन परिवर्तित किया गया था	स्वचालित आरओ जहां दैनिक कीमतों को हस्त्य रूप से परिवर्तित किया गया था (प्रतिशत में)	क्रियान्वयन के बाद से हस्त्य रूप से कीमत परिवर्तन के 51 से अधिक मामलों वाले आरओ की संख्या
एचपीसीएल	भोपाल आरआरओ	177	78 (03 सितम्बर 2018)	44	104
	इन्दौर आरआरओ	200	32 (08 अक्टूबर 018)	16	37
	मुम्बई आरआरओ	87	36 (16 अक्टूबर 2018)	41	आंकडे उपलब्ध नहीं
बीपीसीएल	सूरत टीओ	189	111 (27 अग्स्त 2018)	59	--वही--
	इन्दौर टीओ	179	102 (29 सितम्बर 2018)	57	--वही--
	ग्वालियर टीओ	106	73 (25 अक्टूबर 2018)	69	--वही--
	मनमाड टीओ	196	72 (31 अक्टूबर 2018)	37	--वही--

उपर दी तालिका में यह देखा जा सकता है कि भोपाल आरआरओ के आउटलेट में अधिक मामलों में कीमतों को हस्त्यरूप से परिवर्तित किया गया था यद्यपि यह एक स्वचालित आरआरओ था। आईओसीएल के मामले में, स्वचालित आरओ में हस्त्य रूप से हस्तक्षेप की सीमा को सर्वर द्वारा दैनिक कीमत के प्रसार से संबंधित डेटा के अभाव में सुनिश्चित नहीं किया जा सका। तथापि आईओसीएल के गुरूग्राम क्षेत्रीय कार्यालय के तहत एक आरओ मेंडीलर ने सफल स्वचालित प्राइस-पुश के बावजूद जुलाई 2017 से सितम्बर 2018 तक की अवधि के दौरान एचएसडी तथा एमएस हेतु प्रात: 6 बजे से पूर्व तथा इसके पश्चात क्रमश: 131 तथा 132 बार हस्त्य रूप से हस्तक्षेप किया।

ओएमसी ने कनेक्टिविटी के अभाव के लिए स्वचालित आरओ में कीमत के हस्त्य रूप से परिवर्तन को उत्तरदायी ठहराया (अप्रैल 2019)। एचपीसीएल ने कहा कि वीएसएटी के लागू होने से समस्या को संबोधित किया जाएगा। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने प्रबंधन के उत्तर को दोहराया (फरवरी 2020) कि आरओ का स्वचालन दैनिक कीमतों से लिंक नहीं था जोकि जून 2017 से लागु किया गया था। इससे स्वचालित प्राइस-पुश में सहायता मिली तथा अन्य आरओ में दैनिक कीमत हस्त्य रूप से लागु की गई।वर्तमान में व्यवहार्य और ऑपरेटिव आरओ स्वचालित हो गए हैं और उनमें से अधिकांश को कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। यद्यपि स्वचालित आरओ में मैनुअल संचालन किया गया, लेकिन सही कीमत वसूल की गई।

उत्तर को इस तथ्य के साथ देखा जाना चाहिए कि आरओ द्वारा कीमतों की तव्रित और सही चार्जिंग सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कनेक्टिविटी के साथ आरओ के दैनिक मूल्य निर्धारण के स्वचालन की आवश्यकता है। इसकी अनुपस्थिति में, डीलर द्वारा मूल्य निर्धारण के सही परिवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए तंत्र तथा फील्ड अधिकारियों द्वारा निगरानी की आवश्यकता थी। हालाँकि, दैनिक मूल्य निर्धारण के कार्यान्वयन के समय, ओएमसी के पास दोनों की कमी थी और स्वचालन लक्ष्य को प्राप्त करने में समय लगा जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं से गलत मूल्य वसूल किया गया, जैसा कि पैरा 9.4.5.2 में बताया गया है।

9.4.5.2 डीलरों द्वारा दैनिक कीमतों में बदलाव

i) डीलरों द्वारा कीमतों का परिवर्तन करने में शीघ्रता का अभाव

चयनित आरओ पर डीलरों द्वारा कीमतों के संशोधन (कीमत परिवर्तन रिपोर्ट/ लॉगस) से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षासंवीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:

- 3,463 मामलें ऐसे थे जहां 188 आरओ में से 91 (आईओसीएल-40, एचपीसीएल-35 तथा बीपीसीएल-16) में डीलर प्रात: 6 बजे निर्धारित समय पर कीमतों को

बदलने में तत्पर नहीं थे। दैनिक कीमतों को प्रात: 6 बजे से पूर्व 587 मिनट में तथा प्रात: 6 बजे के बाद 1,078 मिनट में हस्त्य रूप से संशोधित किया गया। तथापि, अधिकतर आरओ के कार्यकारी घंटो का समय प्रात: 7 बजे से रात 11 बजे तक प्रदर्शित किया गया था। इस प्रकार, ऐसे मामलों में डीलरों द्वारा ग्राहकों से अधिप्रभार लेने को समाप्त नहीं किया जा सकता।

- 95 मामलें (आईओसीएल-41, एचपीसीएल 54 तथा बीपीसीएल-शून्य) ऐसे थे जहां डीलरों द्वारा कीमतों को उस दिन तक प्रचलित आरएसपी से उच्च पर संशोधित किया गया था जिसके फलस्वरूप अधिक प्रभार हुआ जो विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों (एमडीजी) के अनुसार एक बड़ी अनियमितता है।

आईओसीएल/ एचपीसीएल ने कीमतों के परिवर्तन, कनेक्टिविटी की कमी, शिफ्टों में आरओ के परिचालन, प्रिंटरों की मरम्मत तथा आरओ के स्वचालन आदि में सम्मिलित प्रसार इकाईयों की अधिक संख्या जैसी व्यावहारिक कठिनाईयों के विषय में बताया (फरवरी/ अप्रैल 2019)। बीपीसीएल ने कहा (अप्रैल 2019) कि विस्तृत एसओपी जारी करना, क्षेत्रीय अधिकारियों को दिशा-निर्देश तथा डीलर नेटवर्क आदि जैसी सुधारात्मक कार्रवाई प्रारम्भ की गयी है। बीपीसीएल ने आगे बताया कि शेष आरओ में स्थिर कनेक्टिविटी देने के लिए कार्य चल रहा है तथा आरओ निरीक्षण रिपोर्ट (आरओआईआर) को संशोधित करने की प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए है कि बिक्री अधिकारी कीमत लॉग का प्रिंट ले तथा आरओआईआर के साथ इसे संलग्न करें।

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2020) कि वर्तमान में वीएसएटी एवं रियल टाइम ट्रांसफर के सहित स्वचालित प्राइस-पुश कुल स्वचालित आरओ के 68 *प्रतिशत* पर लागू की गई है तथा यह दिसम्बर 2020 तक 100 *प्रतिशत* का लक्ष्य प्राप्त करेगी। यह हस्त्य रूप से हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देता। कनेक्टिविटी विफलता के मामलें में भी जब हस्त्य रूप से हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है तो सिस्टम कनेक्टिविटी के पुन: स्थापित होने के बाद संशोधित कीमत को लागू करता है।

लेखापरीक्षा ने ओएमसी के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा कीमत परिवर्तन की मॉनीटरिंग के अभाव का अवलोकन किया था जिसके फलस्वरूप कीमत परिवर्तन में विलम्ब तथा डीलर द्वारा गलत कीमत का प्रभार हुआ। ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति संभव है क्योंकि नई प्रणाली को अभी तक सभी आरओ पर लागू नहीं किया गया है। केवल बीपीसीएल ने आरओआईआर को संशोधित करने का निर्णय यह सुनिश्चित करने के लिए लिया कि बिक्री अधिकारी मूल्य लॉग का प्रिंट ले तथा इसे आरओआईआर के साथ संलग्न करें।

ii) डीलरों द्वारा गलत प्रभार लेना

8 जनवरी 2013 से प्रभावी ओएमसी के लिए लागू एमडीजी के खंड 1.6 (i) के अनुसार, आरओ डीलर को सही कीमत प्रभारित करना सुनिश्चित करना चाहिए। स्वचालित आरओ पर सव्यंवहार रिपोर्टों, डीलरों द्वारा जारी नकद/ क्रेडिट बिलों तथा दैनिक बिक्री रिकॉर्ड की संवीक्षा से कीमतों के गलत प्रभार के मामलों का पता चला। लेखापरीक्षा द्वारा देखे गए आरओ पर उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड से 86 आरओ (आईओसीएल) में से 19, 53 आरओ (एचपीसीएल) में से 2 तथा 49 आरओ (बीपीसीएल) में से 2 में अधिक/ कम प्रभार लेने के मामलें थे जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका 9.4.2: अधिक/ कम प्रभार के मामलें

ओएमसी	नमूना जांच किए गए आरओ की संख्या	उन आरओ की संख्या जहां अधिक/ कम प्रभार देखा गया	उन आरओ की प्रतिशतता जहां अधिक/ कम प्रभार देखा गया	अधिक प्रभार लेने के मामले	कम प्रभार लेने के मामलें
आईओसीएल	86	19	22	109	104
एचपीसीएल	53	2	04	04	शून्य
बीपीसीएल	49	2	04	06	शून्य
कुल	**188**	**23**	**12**	**119**	**104**

स्रोत- प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत डेटा

ओएमसी ने लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई कीमतों के गलत प्रभार को स्वीकार किया। आईओसीएल ने कंपनी द्वारा डीलरों को सूचित गलत कीमत, डीलरों द्वारा गलत इरादे की अनुपस्थिति, कीमत को प्रभारित करने में सम्मिलित व्यावहारिक कठिनाईयों को कीमतों के गलत प्रभार के लिए उत्तरदायी ठहराया (अप्रैल 2019) तथा डीलरों को इन त्रुटियों के लिए चेतावनी दी गई थी। एचपीसीएल ने कहा (अप्रैल 2019) कि नई एप्लीकेशन अर्थात् 'रिटेल ऑटोमेशन डैश बोर्ड' को सिस्टम के माध्यम से आरओ पर कीमत परिवर्तन की मॉनीटरिंग/ पता लगाने के लिए विकसित किया गया है। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2020) कि गलत कीमत परिवर्तन की सीमा काफी कम थी जो डीलरों की ओर से गलत इरादे को असंभव बनाती है। तथापि, इन मामलों में डीलरों को सलाह दी गई थी। एक मामलें में, एमडीजी दिशानिर्देशों के अनुसार डीलर पर कार्रवाई की गई थी। भविष्य में, स्वचालन तथा कनेक्टिविटी में सुधार होने पर इन चूकों की ओर ध्यान दिया जाएगा।

कीमतों को गलत प्रभारित करने के मामले केवल संकेत थे तथा इन्हे नमूना चयन के आधार पर निरीक्षण किए गए आरओ में देखा गया था। ये मामले ओएमसी द्वारा उचित मॉनीटरिंग प्रणाली के अभाव को दर्शाते है।

iii) स्वचालन प्रणाली में त्रुटि की वजह से अधिक प्रभार लेना

लेखापरीक्षा ने पाया कि मेल तथा सर्वर के माध्यम से दरों के सूचित करने में विसंगति की वजह से आईओसीएल के मुम्बई डीओ के अधीन एक स्वचालित आरओ में अधिक प्रभार लिया गया। डीलर ने ऑटों सृजित मेल के माध्यम से सूचित दर को लागू किया जो सर्वर द्वारा बढ़ाई गई दर से अधिक थी जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका 9.4.3: प्रणाली में त्रुटि के कारण अधिक प्रभार के ब्यौरे

बिल सं.	तिथि	उत्पाद	ग्राहक से प्रभारित दर (₹/ लीटर)	लागू दर (₹/ लीटर)
64606	1 जून 2018	एमएस	85.85	85.81
64606	1 जून 2018	एचएसडी	72.28	72.25
64573	1 जून 2018	एमएस	85.85	85.81
64572	1 जून 2018	एचएसडी	72.28	72.25
64568	1 जून 2018	एचएसडी	72.28	72.25

स्रोत- प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किए गए आकड़े

इसके अलावा, मेल द्वारा सूचित दर उन सभी गैर-स्वचालित आरओ और स्वचालित आरओ में लागू की जानी चाहिए जहां डीलरों ने कनेक्टिविटी समस्या के कारण कीमत में हस्त्य रूप से परिवर्तन किया था।

प्रबंधन ने आईओसीएल द्वारा दर की सूचना देने में हुई विसंगति को स्वीकार किया (अप्रैल 2019); तथापि, उत्तर में सुधारात्मक कार्रवाई और गैर-स्वचालित तथा स्वचालित आरओ, जहां कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, पर इस विसंगति के प्रभाव के बारे में कुछ नहीं कहा गया। एमओपीएनजी ने कोई टिप्पणी नहीं की।

iv) एचएसडी कीमतों में दिन में कई बार परिवर्तन

आईओसीएल के गोवा डिविजनल कार्यालय के अंतर्गत आने वाले एक स्वचालित आरओ में देखा गया कि मई 2018 में एक ही दिन में डीलर द्वारा दो विभिन्न लॉग-इन आईडी का प्रयोग करते हुए कीमतों में कई बार परिवर्तन किया गया था क्योंकि बार-बार प्रणाली में ब्रेकडाऊन हो रहा था। अत: उन दिनों के दौरान गलत कीमते प्रभारित होने को खारिज नहीं किया जा सकता जिसके ब्यौरे निम्न है:

तालिका 9.4.4: एचएसडी कीमतों में दिन में कई बार परिवर्तन दर्शाते मामले

सं.	तिथि	वास्तविक कीमत (₹ प्रति लीटर)	कीमतों को आगे बढ़ाने का समय	डीलर द्वारा बदली गई कीमते (₹ प्रति लीटर)
1	20 मई 2018	71.00	08.29 बजे	71.00
			20.48 बजे	71.05
2	21 मई 2018	71.25	6.02 बजे	71.25
			21.11 बजे	71.30
3	22 मई 2018	71.52	6.11 बजे	71.52
			23.37 बजे	71.65
4	23 मई 2018	71.79	6.03 बजे	71.79
			21.43 बजे	71.80

स्रोत- प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े

तालिका से यह देखा जा सकता है कि डीलर द्वारा परिवर्तित कीमत अधिक थी जिसके परिणामस्वरूप गलत कीमते प्रभारित हुई।

आईओसीएल ने बताया (अप्रैल/ मई 2019) कि एक समिति ने मामले की जांच की थी जिसने सूचना दी (मई 2019) कि चूँकि सिस्टम ब्रेकडाउन बार-बार हो रहा था, अत: डीलर ने बिक्री हानि और ग्राहक की असुविधा से बचने के लिए विक्रेता द्वारा साझा की गई एडमिन लॉग-इन का उपयोग किया था। इसके अतिरिक्त, मई 2018 के दौरान डीलर ने निवल अधिक/ कम प्रभार के कारण मामूली हानि उठाई थी। एमओपीएनजी ने प्रबंधन के उत्तर को दोहराया (फरवरी 2020) और कहा कि स्वचालित प्राइस-पुश सुनिश्चित करने के लिए शासनाधीन आरओ पर नई स्वचालित प्रणाली और कनेक्टिविटी संस्थापित कर दी गई है और सिस्टम की खराबी के मामले में सही कीमत बनाए रखने के लिए डीलर से बात की गई है।

हालांकि, डीलर ने विशेष माह के दौरान निवल हानि उठाई थी, फिर भी तथ्य यह है कि इन मामलों में उपभोक्ताओं से गलत कीमते प्रभारित की गई थी। इसके अलावा, ये नमूना जांच किए गए मामलों के परिणामस्वरूप सामने आए और इसलिए उपर्युक्त उल्लिखित मामले सूचक आधार पर हैं।

v) स्वचालन प्रणाली में संव्यवहार रिपोर्टों की अनुपलब्धता

आईओसीएल के मामले में, मध्य प्रदेश राज्य कार्यालय के अंतर्गत एक स्वचालित आरओ और गुरूग्राम डीओ के अंतर्गत दो स्वचालित आरओ से संबंधित कीमत परिवर्तन रिपोर्टें उपलब्ध नहीं थी। अत: लेखापरीक्षा में कीमतों में परिवर्तन की तत्परता और डीलर द्वारा

सही कीमते प्रभारित करने की जांच नहीं की जा सकी। विपणन मुख्यालयों में भी सूचना उपलब्ध नहीं थी।

प्रबंधन ने बताया (अप्रैल 2019) कि इन तीन आउटलेटों में तकनीकी खराबी के कारण कीमत परिवर्तन रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी और स्वचालन विक्रेता को बेक-अप रखने के लिए आगाह किया गया है। एमओपीएनजी ने कोई टिप्पणी नहीं की थी।

vi) एचपीसीएल और बीपीसीएलऐप/ मोबाइल नंबर पर आरएसपी का गलत प्रदर्शन

एचपीसीएल और बीपीसीएल ने ग्राहकों की सहायता के लिए क्रमश: ''माय एचपीसीएल ऐप'' और ''स्मार्टड्राइव'' नामक मोबाइल ऐप्लिकेशन विकसित किए है। ये ऐप डीलरों द्वारा प्रभारित दरों की जांच में ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। लेखापरीक्षा में इन 'ऐप' की कार्यपद्धति की नमूना जांच की गई और यह देखा गया कि:

- एचपीसीएल के पूर्वी जोन के अंतर्गत आने वाले एक आरओ पर एमएस और एचएसडी का आरएसपी 31 अगस्त 2018 को ऐप में क्रमश: ₹78.14 प्रति लीटर और ₹74.20 प्रति लीटर के प्रति क्रमश: ₹77.87 प्रति लीटर और ₹73.72 प्रति लीटर दर्शाया गया था जो क्रमश: ₹0.27 प्रति लीटर और ₹0.48 प्रति लीटर तक अधिक था। एचपीसीएल ने बताया (अप्रैल 2019) कि यह त्रुटि तकनीकी खराबी के कारण हुई और सूचना प्रणाली के माध्यम से सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।
- बीपीसीएल ऐप पूर्वी जोन के अंतर्गत आने वाले दो आरओ का पता नहीं लगा सका और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को प्रदर्शित नहीं कर सका। इसमें एक संदेश 'कोई आऊटलेट नहीं पाया गया' दर्शाया गया। बीपीसीएल ने बताया (अप्रैल 2019) कि उस स्थान पर कनेक्टिविटी समस्या के कारण यह परेशानी आई थी।

लेखापरीक्षा में भटिंडा और देहरादून में तीन आरओ पर एसएमएस के माध्यम से मोबाइल नंबर पर उत्पादों के आरएसपी की सटीकता की जांच के लिए बीपीसीएल द्वारा ग्राहकों को दी गई सुविधा की नमूना जांच की गई थी। हालांकि, 12 एसएमएस[17] में से 7 का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। बीपीसीएल ने बताया (अप्रैल 2019) कि यह कुछ समेकन मुद्दों के कारण आरंभिक चरण के दौरान हुआ था और इसका समाधान कर दिया गया है। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) ने कोई टिप्पणी नहीं की।ऐप और एसएमएस सुविधा की खराबी पर ध्यान दिए जाने की आवश्यता है क्योंकि यह चार्ज की गई कीमत के बारे में ग्राहकों के विश्वासस्तर में सुधार करेगा।

---

[17] *04 सितंबर 2018, 05 सितंबर 2018, 08 सितंबर 2018, 09 सितंबर 2018, 10 सितंबर 2018 और 11 सितंबर 2018 को भेजे गए*

9.4.5.3 ओएमसी के द्वारा आरओ का निरीक्षण

9 जनवरी 2013 को आयोजित उद्यम की बैठक के कार्यवृत्त ने ओएमसी के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा आरओ पर निरीक्षण की 'प्रति वर्ष न्यूनतम बारंबारता' निर्धारित की जो स्वचालन की सीमा के आधार पर वर्ष में दो बार से लेकर चार बार तक होता है। बीपीसीएल के मामले में, 14,762 आरओ में से 176 में निरीक्षण में कमी थी जबकि एचपीसीएलमें 15,604 आरओ में से 2,454 में निरीक्षण में कमी थी। एचपीसीएल के मामले में 7 *प्रतिशत* आरओ का निरीक्षण कभी नहीं किया गया था और 9 *प्रतिशत* आरओ का केवल एक बार निरीक्षण किया गया था। आईओसीएल ने आवश्यक डाटा प्रदान नहीं किया।

इसके बाद, फील्ड अधिकारियों को अनिवार्य निरीक्षण के दौरान डीलरों द्वारा सही कीमतो के चार्जिंग के बारे में निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट करना आवश्यक था लेकिन प्रारूपों में कीमतो के परिवर्तन में देरी की सूचना की आवश्यकता नहीं थी। इसके परिणाम स्वरूप ग्राहकों से अधिक/ कम वसूली की गई। निरीक्षण रिपोर्टों की छानबीन से पता चला कि आईओसीएल के 25 आरओ और बीपीसीएल के 10 आरओ के फील्ड अधिकारियों ने आरएसपी के बदलने में हुई तेजी तथा डीलरों द्वारा लगायी गई कीमतों की शुद्धता को सत्यापित नहीं किया तथा सूचना नहीं दी।

ओएमसी ने आपत्ति को स्वीकार किया। बीपीसीएल ने कहा (अप्रैल 2019) कि विस्तृत एसओपी जारी करने, दैनिक कीमत निर्धारण के अद्यतन के संबंध में दिशा निर्देश, आरओआईआर का संशोधन करना जैसी सुधारात्मक कार्रवाई आरंभ की है।

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2020) कि क्षेत्रीय अधिकारी के निरीक्षण को आगे बढाने के लिए उपयुक्त सलाह जारी की गई है।

निष्कर्ष:

स्वचालन की कमी और निरंतर कनैक्टिविटी ने आरओ पर दैनिक मूल्य के परिवर्तन को प्रभावित किया।

डीलरों द्वारा दैनिक मूल्य निर्धारण के क्रियान्वयन में ढिलाई और ओएमसी की तरफ से निगरानी न करने के कारण ग्राहकों से गलत कीमत वसूली गई।

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड

9.5 ऊर्जा प्रभारों पर अतिरिक्त व्यय

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड की विशाख रिफाइनरी यूनिटी/ निकट यूनिटी पावर फैक्टर प्राप्त करने हेतु कैपसिटर बैंक संस्थापित करने में विफल रही जिसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2011 से मार्च 2019 तक ₹18.01 करोड़ तक अधिक ऊर्जा प्रभारों का भुगतान हुआ।

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) की विशाख रिफाइनरी (वीआर) ने 13[18] मेगा वाल्ट एम्पीयर (एमवीए) की संविदाकृत अधिकतम मांग (सीएमडी) के साथ विद्युत आयात हेतु आंध्र प्रदेश पूर्वी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (ईपीडीसीएल[19]) के साथ एक करार किया (जून 1986)। ईपीडीसीएल को देय मांग/ ऊर्जा प्रभार आंध्र प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एपीईआरसी) द्वारा जारी टैरिफ विनियमों के अनुसार थे।

अप्रैल 2011 से पहले, उपभोक्ताओं का बिल केडब्ल्यूएच (किलोवाट घंटा) में मापी गई एक्टिव ऊर्जा खपत के आधार पर बनाया जाता था। केडब्ल्यूएच खपत की गई और उपयोगी कार्य में रूपांतरित एक्टिव ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है जबकि किलो वॉल्ट एम्पीयर घंटा (केवीएएच) अप्रेरन्ट विद्युत[20] को प्रस्तुत करता है। अपेरन्ट विद्युत में एक्टिव विद्युत के अनुपात को पावर फैक्टर (पीएफ) कहा जाता है। 31 मार्च 2009 तक अधिप्रभार/ जुर्माना तब लगाया जाता था जब पीएफ 0.90 से कम हो, जिसे बाद में 1 अप्रैल 2009 से 0.95 तक बढ़ा दिया गया था।

एपीईआरसी ने टैरिफ आदेश 22 जुलाई 2010 के माध्यम से 2011-12 के बाद से सभी हाई टेंशन (एचटी) उपभोक्ताओं के लिए केवीएएच आधारित टैरिफ (केडब्ल्यूएच आधारित टैरिफ के स्थान पर) के कार्यान्वयन की संभावना का पता लगाने के लिए लाइसेंसधारकों को निर्देश दिया था। निर्देशों के अनुसार ईपीडीसीएल ने प्रणाली से रिएक्टिव विद्युत प्राप्ति को कम करने के लिए 2011-12 के बाद से केवीएएच आधारित बिलिंग शुरू की थी जिससे बेहतर प्रणाली प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। संशोधित बिलिंग कार्यप्रद्धति युनिटी पीएफ प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता को बाध्य करने और उपभोक्ताओं के रिएक्टिव ऊर्जा अनुशासन हीनता के लिए वाणिज्यिक रूप से हतोत्साहित करने के लिए अभिप्रेत है।

---

[18] सीएमडी को मई 2017 के बाद से 24 एमवीए तक बढ़ाया गया था।

[19] पूर्व में आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड

[20] इलेक्टिकल ऊर्जा में दो घटक अर्थात एक्टिव ऊर्जा (केडब्लूएच) और रिएक्टिव ऊर्जा (केवीएआरएच) है। इन घटकों के वेकटर योग को अपेरन्ट ऊर्जा कहा जाता है और इसका मापन केवीएएच में किया जाता है

उपभोक्ताओं को स्वयं ही विद्युत कैपसिटर[21] संस्थापित करना था जो केवीएएच उत्पाद को कम करेगा। यदि कैपसिटर संस्थापित नहीं किए गए या उचित रूप से कार्य नहीं करते तब आहरित अपेरेन्ट विद्युत एक्टिव विद्युत से अधिक होगी। इसके परिणामस्वरूप केवीएएच में खपत की गई अपेरन्ट विद्युत पर ऊर्जा की बिलिंग के कारण अतिरिक्त व्यय होगा।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि एचपीसीएल की विशाख रिफाइनरी ने युनिटी या निकट यूनिटी पावर फैक्टर नहीं बनाए रखा। इस तथ्य के बावजूद कि रिफाइनरी को ट्रांसमिट की गई अपेरन्ट विद्युत के लिए भुगतान करना था, आहरित एक्टिव पावर अप्रैल 2011 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान ईपीडीसीएल द्वारा ट्रांसमिट अपेरन्ट विद्युत के 81 *प्रतिशत* और 100 *प्रतिशत* के बीच थी । आगे यह देखा गया कि हालांकि एचपीसीएल ने अच्छे पावर फैक्टर और पावर फैक्टर सुधार के लिए 132 केवी स्तर पर कैपसिटर वॉल्टेज ट्रांसफार्मर (सीवीटी) पहले ही संस्थापित और शुरू कर दिया था, इसने अनप्रवाह सब स्टेशनों में खरीदे गए (अप्रैल 2012) चार कैपसिटर बैंको[22] को संस्थापित नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप, रिफाइनरी ने अप्रैल 2011 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान ₹18.01 करोड़ के अधिक ऊर्जा प्रभारों का भुगतान किया था।

प्रबंधन ने बताया (नवम्बर 2019) कि:

- 2010 से पहले अधिभार का उद्ग्रहण तब किया जाता था जब पावर फैक्टर 0.90 से कम पर दर्ज हो। यह बताता है कि उद्योगों एवं एप्लिकेशन की बड़ी रेंज पर विचार करते हुए 0.90 स्वीकार्य मूल्य था। 0.90 के पावर फैक्टर पर विचार करते हुए, अधिक ऊर्जा प्रभार अप्रैल 2011 से मार्च 2019 की अवधि हेतु केवल ₹4.58 करोड़ होंगे।
- उपलब्ध कैपसिटर बैंकों को परामर्शदाता से प्राप्त अभिचालन सैटिंग के आधार पर अक्टूबर 2019 से ऑनलाइन किया गया था जिससे पावर फैक्टर में 0.90 से अधिक तक सुधार हुआ। परामर्शदाता की अंतिम रिपोर्ट प्रतीक्षित थी।

निम्नलिखित के मद्देनजर उत्तर मान्य नहीं है।

- पावर फैक्टर के आधार पर शास्ति उद्ग्रहण को एपीईआरसी द्वारा अप्रैल 2011 से वापस ले लिया गया था। एपीईआरसी ने अप्रैल 2011 से बिलिंग ऊर्जा प्रभारों की पद्धति को संशोधित करके केडब्ल्यूएच से केवीएएच आधारित कर दिया था और

---

[21] कैपेसिटर रिएक्टिव विद्युत के उत्पादन में उपयोग की जाने वाली इलेक्ट्रिकल सुविधा है। कैपेसिटर रिएक्टिव विद्युत की आपूर्ति लाइन के भार को कम करके पावर फैक्टर में सुधार करने में सहायता करता हैं

[22] कैपेसिटर बैंक कई कैपेसिटरों का समूह होता जिसे इलेक्ट्रिकल ऊर्जा संचित करने हेतु एक दूसरे के साथ श्रृखला में या समानांतर जोड़ा जाता है

तद्नुसार, ऊर्जा प्रयोक्ता (कंपनी) से युनिटी पावर फैक्टर को अनुरक्षित करना अपेक्षित था। अन्यथा, प्रयोक्ता को अतिरिक्त व्यय करना होगा यदि एक्टिव विद्युत अपेरन्ट विद्युत से कम हो।

- हालांकि, कंपनी ने अप्रैल 2012 में 4 कैपसिटर बैंक खरीदे थे और 2013 में ये प्राप्त हुए थे, फिर भी लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने के बाद ही अक्टूबर 2019 में इन कैपसिटर बैंकों को ऑनलाइन किया गया था। यदि इन्हें खरीद के तुरंत बाद ही उपयोग के लिए रखा जाता तो कंपनी अधिक ऊर्जा प्रभावों के भुगतान को बचा सकती थी।

मंत्रालय ने बताया (मार्च 2020) कि:

- विभिन्न कारकों, अर्थात लोड के प्रकार, एप्लिकेशन और ग्रिड बिहेवियर पर निर्भरता, पर विचार करते हुए युनिटी पावर फैक्टर बनाए रखना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं था। हालांकि, 0.90 और इससे अधिक का पावर फैक्टर उद्योगों के लिए वांछनीय पावर फैक्टर था। हानि की गणना युनिटी पावर फैक्टर की शर्त मानते हुए परिकल्पित रूप से की गई थी।
- रिफाइनरी ने अधिकतर अवधि के लिए 0.90 से अधिक पर पावर फैक्टर को बनाए रखा जब गैस टर्बाइन जेनरेटर (जीटीजी) को आइलैंड मोड[23] पर चलाया जा रहा था। तथापि, डीजल हाइड्रो ट्रेटर (डीएचटी) की और अन्य प्रोसेस इकाईयों की ट्रिपिंग के कारण हुई हानियों से बचने के लिए अप्रैल 2016 से जीटीजी के समानांतर प्रचालन शुरू किए गए थे जिसके कारण पावर फैक्टर 0.90 से कम था।
- डीएचटी परियोजना के भाग के रूप में कैपसिटर बैंकों की खरीद हेतु अप्रैल 2012 में एक खरीद आदेश दिया गया था और ये 2013 में प्राप्त हुए थे। हालांकि, डीएचटी इकाई 2015 से लगातार सेवा में आ गई थी और आइलैंड मोड में ग्रिड द्वारा पोषित की गई। समानांतर परिचालन अप्रैल 2016 में ही शुरू हुए थे। अत: कैपसिटर बैंकों को खरीद के तुरंत बाद उपयोग के लिए नहीं रखा गया था। कैपसिटर बैंकों की चार्जिंग इकाई के ऑनलाइन होने के समय पर उपयुक्त नहीं थी। अत: इन कैपसिटर बैंकों को डीएचटी इकाइयों की नियोजित बंदी के दौरान लगातार संस्थापन में रखने का निर्णय लिया गया था।

---

[23] *विद्युत संयंत्र को 'आइलैंड मोड' में कहा जाता है यदि इसे वितरण प्रणाली या विद्युत ग्रिड से अलग कर दिया गया हो*

मंत्रालय का उत्तर निम्नलिखित के मद्देनजर मान्य नहीं है:

- चूँकि, एपीईआरसी ने पावर फैक्टर अधिभार को 1 अप्रैल 2009 से 0.90 से 0.95 पर संशोधित कर दिया था, अत: उद्योगों के लिए वांछित पावर फैक्टर 0.95 और इससे अधिक था तथा 0.90 से अधिक का नहीं, जैसा कि मंत्रालय द्वारा बताया गया है। इसके अलावा, अप्रैल 2011 से बिलिंग कार्यपद्धति में परिवर्तन करने के बाद उपभोक्ताओं से युनिटी पावर फैक्टर बनाए रखना अपेक्षित था। संगणित हानि परिकल्पित नहीं थी अपितु वास्तविक ऊर्जा के आधिक्य में अपेरन्ट ऊर्जा के आहरण के कारण किया गया वास्तविक अतिरिक्त व्यय था।
- इस तथ्य की जानकारी होने के बावजूद कि डीएचटी के परिचालन के दौरान कैपसिटर बैंकों की चार्जिंग उपयुक्त नहीं थी, कंपनी ने डीएचटी शुरू करने (2015) के साथ कैपसिटर बैंकों को संस्थापित नहीं किया था और उक्त ने कैपसिटर बैंक खरीदने के उद्देश्य को विफल कर दिया। डीएचटी के साथ खरीदे गए इन चार कैपसिटर बैंको का संस्थापन न करने का कोई औचित्य नहीं था और इसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त ऊर्जा प्रभार हुआ। प्रबंधन का उत्तर, लेखापरीक्षा टिप्पणी की पुष्टि करता है कि कैपसिटर बैंकों के संस्थापन के बाद पावर फैक्टर में सुधार हुआ था।
- लेखापरीक्षा टिप्पणी आईलैंड मोड में या समानांतर मोड में जीटीजी के परिचालन पर नहीं है, अपितु डीएचटी के साथ खरीदे गए कैपसिटर बैंकों के संस्थापन न करने पर हैं। यदि कैपसिटर बैंकों को डीएचटी के साथ संस्थापित कर दिया जाता तो इससे आईलैंड में या समानांतर मोड में जीटीजी के परिचालन के दौरान पावर फैक्टर में सुधार हो सकता था।

अत:, समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कैपसिटर बैंकों को संस्थापित करने में विफलता के कारण एक्टिव विद्युत से अधिकता में अपेरन्ट विद्युत का आहरण हुआ जिसके परिणामस्वरूप अधिक ऊर्जा प्रभारों के प्रति ₹18.01 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।